

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग मुख्य रूप से वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर एवं विद्युत शुल्क से सम्बन्धित कार्य देखता है, जो निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों से विनियमित होते हैं:

1. राजस्थान वैट अधिनियम, 2003;
2. राजस्थान वैट नियम, 2006;
3. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
4. केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957;
5. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999;
6. राजस्थान विलासिता कर (होटल और ठहराव घरों में) अधिनियम, 1990;
7. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957; तथा
8. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 ।

राजस्थान में वैट का निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, जो 1 अप्रैल 2006 से लागू है, द्वारा शासित होते हैं। इससे पूर्व, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 प्रचलन में था, जिसको राजस्थान वैट अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। यद्यपि राजस्थान बिक्री कर की अवधि से सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान बिक्री कर अधिनियम से शासित होते रहे। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं उसके अधीन निर्मित नियम भी प्रचलन में हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के समग्र नियन्त्रण में रहते हुए, उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता हेतु 8 अतिरिक्त आयुक्त, 34 उपायुक्त एवं 1 वित्तीय सलाहकार हैं। सरकारी नीतियों एवं कराधान क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) 14 संभागों में विभाजित है। संभाग स्तर पर उपायुक्त सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में बजट अनुमानों के सापेक्ष में बिक्री, व्यापार इत्यादि से कर की वास्तविक प्राप्तियों तथा इसी अवधि की राज्य की कुल

कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बिक्री, व्यापार पर कर का बजट अनुमान	बिक्री, व्यापार पर कर से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक(+)/कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	बढ़ोतरी की दर	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों(3) का कुल कर प्राप्तियों(7) पर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008-09	8,500.00	8,904.50	(+) 404.50	(+) 4.76	14.89	14,943.75	59.59
2009-10	10,030.00	10,163.53	(+) 133.53	(+) 1.33	14.14	16,414.27	61.92
2010-11	11,730.00	12,629.59	(+) 899.59	(+) 7.67	24.26	20,758.12	60.84
2011-12	13,490.00	15,766.43	(+)2,276.43	(+) 16.87	24.84	25,377.05	62.13
2012-13	16,550.00	18,574.65	(+)2,024.65	(+) 12.23	17.81	30,502.65	60.90

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राज्य की कुल कर प्राप्तियों के समक्ष, बिक्री, व्यापार इत्यादि से करों की प्राप्तियाँ 59.59 से 62.13 प्रतिशत के मध्य रही जो राज्य के राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा है।

2.3 प्रति करदाता वैट का संग्रहण

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रति करदाता बिक्री कर/वैट का संग्रहण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर/वैट राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रति करदाता राजस्व (₹ लाख में)
2008-09	3,44,852	8,904.50	2.58
2009-10	3,76,688	10,163.53	2.70
2010-11	4,09,323	12,629.59	3.09
2011-12	4,40,842*	15,766.43	3.58
2012-13	4,71,505**	18,574.65	3.94**

* गत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये आँकड़े, जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये, प्रोविजनल थे।

** प्रोविजनल आँकड़े।

उक्त आँकड़े प्रति करदाता वैट के संग्रहण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को इंगित करते हैं।

2.4 कर निर्धारण में बकाया

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 23 के अनुसार, पंजीकृत व्यवहारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में विवरणियाँ प्रस्तुत कर देने पर उसका कर निर्धारण किया हुआ मान लिया जाता है। विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के दौरान कोई त्रुटि या अशुद्धि ध्यान में आने पर राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी को उसका परिशोधन करना होता है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कर निर्धारण के लम्बित प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
2008-09	1,344	2,54,289	2,55,633	2,55,262	371
2009-10	371	3,03,950	3,04,321	3,04,222	99
2010-11	99	3,20,298	3,20,397	3,20,382	15
2011-12	15	3,25,019	3,25,034	3,25,024	10
2012-13	10	3,59,569	3,59,579	3,59,559	20

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

लम्बित निर्धारण प्रकरणों का वर्ष 2008-09 के अन्त में 371 प्रकरणों से वर्ष 2012-13 के अन्त में 20 प्रकरणों तक आना सार्थक कमी दर्शाता है।

2.5 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर हुये व्यय प्रतिशतता की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से तुलना निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2008-09	8,904.50	70.21	0.80	0.88
2.	2009-10	10,163.53	85.90	0.85	0.96
3.	2010-11	12,629.59	86.97	0.69	0.75
4.	2011-12	15,766.43	84.89	0.54	0.83
5.	2012-13	18,574.65	88.61	0.48	उपलब्ध नहीं

उपरोक्त को देखने से ज्ञात होता है कि सभी वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम था।

2.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

वर्ष 2011-12 तक के गत पाँच वर्षों में, कर का अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, टर्नओवर को छिपाना, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित ₹ 551.98 करोड़ राजस्व प्रभाव के 38 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये। इनमें से 30 अनुच्छेदों में सन्निहित ₹ 361.01 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और जिनमें से दिसम्बर 2013 तक ₹ 5.33 करोड़ की वसूली कर ली गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल की गई राशि*	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	5	17.88	3	0.82	3	0.54
2008-09	10	28.25	7	17.79	5	0.96
2009-10	8	4.47	6	3.38	6	1.18
2010-11	9	105.18	9	3.38	7	1.95
2011-12	6	396.20	5	335.64	3	0.70
योग	38	551.98	30	361.01	24	5.33

* कुछ अनुच्छेदों में राशि की आंशिक वसूली की गई।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आक्षेपित एवं स्वीकार की गई राशि के समक्ष वसूली की राशियाँ क्रमशः एक प्रतिशत एवं डेढ़ प्रतिशत रही।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि जिन अनुच्छेदों को स्वीकार कर लिया गया है उन प्रकरणों में पूर्ण वसूली करें।

2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। विभाग में, 13 आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं और प्रत्येक दल का प्रभारी सहायक लेखाधिकारी होता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना, इकाइयों की महत्ता एवं अर्जित राजस्व के आधार पर की जाती है। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक

लेखापरीक्षित इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये लम्बित इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का देय होना	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयों	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों	लेखापरीक्षा से वंचित रही इकाइयों	कमी प्रतिशत में
2008-09	65	396	461	357	104	23
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के आयोजन में 14 से 41 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2012-13 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,202 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेदों की संख्या	9,325	1,557	1,618	1,459	1,811	1,432	17,202

बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया होना तथा उनका निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा है।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के समाधान के लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें।

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 154 में से 89 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,322 प्रकरणों में ₹ 275.96 करोड़ के कर के कम निर्धारण/अवनिर्धारण, अनियमित छूट प्रदान करना, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ पायी गई, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	150.02
2.	कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण नहीं करना	275	17.38
3.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	86	5.37
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	77	6.25
5.	अनियमित छूट प्रदान करना	124	16.41
6.	क्रय कर का अनारोपण	7	0.38
7.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	154	7.69
8.	अन्य अनियमितताएँ		
	(i) राजस्व	554	72.24
	(ii) व्यय	44	0.22
योग		1,322	275.96

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 615 प्रकरणों में ₹ 4.59 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 21.63 लाख के 28 प्रकरण वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 22 प्रकरणों में ₹ 10.20 लाख वसूल किये, जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

तीन प्रकरणों में विभाग और सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात विभाग द्वारा ₹ 59.58 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गई।

'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें सन्निहित राशि ₹ 150.02 करोड़ है एवं ₹ 10.54 करोड़ के कुछ लेखापरीक्षा आक्षेपों के उदाहरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

2.9 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान करों की बकाया ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ हो गई।
(अनुच्छेद 2.9.7.1)
- वसूली प्रक्रिया के प्रारम्भ करने को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 या राजस्थान वैट नियम, 2006 में या विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई।
(अनुच्छेद 2.9.9.3)
- सम्पत्तियों की नीलामी में असफलता के कारण चार प्रकरणों में ₹ 69.01 लाख की बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।
(अनुच्छेद 2.9.10)
- अवधि 1977-78 से 2009-10 से सम्बन्धित एकपक्षीय कर निर्धारण के 259 प्रकरणों की मापक जाँच में पाया कि ₹ 49.44 करोड़ की मांग तथा ब्याज ₹ 37.81 करोड़ की वसूली नहीं की गई।
(अनुच्छेद 2.9.12)
- चैक पोस्टों पर कर संग्रहण कार्य के लिये नियुक्त आठ ठेकेदारों द्वारा ₹ 5.11 करोड़ की बकाया राशि को जमा नहीं कराया गया।
(अनुच्छेद 2.9.13)
- दो सक्रिय व्यवहारियों के विरुद्ध बकाया ₹ 82.42 लाख की वसूली नहीं की गई, यद्यपि, उनका कर निर्धारण लगातार किया जा रहा था।
(अनुच्छेद 2.9.14)
- बारह प्रकरणों में, जिनमें व्यवहारियों की अन्य राज्यों में सम्पत्ति होने पर भी राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र विलम्ब से जारी करने तथा अनुसरण की अपर्याप्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।
(अनुच्छेद 2.9.15)

- अड़तालीस प्रकरणों की संवीक्षा पर पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा ₹ 13.00 करोड़ के आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) का दावा किया गया किन्तु, निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में अनुमत्य नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.16)

- ₹ 1.34 करोड़ बकाया कर की राशि व्यवहारियों द्वारा चैक पोस्टों तथा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में जमा करा रखी थी किन्तु, विभाग द्वारा सत्यापन में विलम्ब के कारण बकाया चल रही थी।

(अनुच्छेद 2.9.17)

- वर्ष 1992-93 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित 178 प्रकरणों में, केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मांग ₹ 10.51 करोड़ तथा ब्याज ₹ 2.31 करोड़ वसूली हेतु बकाया रहे।

(अनुच्छेद 2.9.18)

- वर्ष 1993-94 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित 64 प्रकरणों में राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप मांग ₹ 2.09 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.13 करोड़ वसूली हेतु बकाया रहे।

(अनुच्छेद 2.9.19)

- दो व्यवहारियों के वसूली अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय समापक को ब्याज राशि का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.9.20)

- ऋण वसूली अधिकरण के यहां अपर्याप्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप एक कम्पनी से ₹ 1.99 करोड़ कर के बकाया को प्राप्त नहीं किया जा सका। ऋण वसूली अधिकरण ने वर्ष 2005 में कम्पनी की चल एवं अचल सम्पत्ति को बेच दिया एवं वितरण योग्य कोई सम्पत्ति छोड़े बिना प्राप्त विक्रय राशि को वित्तीय संस्थानों के मध्य वितरित कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.9.21)

- ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी समय पर कर का भुगतान नहीं कर रहा हो, उनमें विभाग द्वारा जमानत राशि को गत माह या तिमाही या वर्ष जैसा भी प्रकरण हो, के अधिकतम देय कर के 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने के बारे में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.23.2)

2.9.1 प्रस्तावना

वैल्यु एडेड टैक्स अर्थात वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण का कार्य राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और उसके अधीन निर्मित नियमों द्वारा शासित होता है। राजस्थान वैट अधिनियम के लागू होने से पूर्व राज्य के भीतर माल के किसी भी प्रकार के विक्रय पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन निर्मित नियम लागू होते थे।

राजस्थान वैट अधिनियम 2003, की धारा 23 के अनुसार एक पंजीकृत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर त्रैमासिक या वार्षिक कर निर्धारण किया हुआ मान लिया जाता है। राजस्थान बिक्री कर नियमों के नियम 27 एवं राजस्थान वैट नियमों के नियम 24 के प्रावधानों के अनुसार, व्यवहारी से यह अपेक्षित है कि वह मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अथवा ऐसे सूचना पत्र में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के अन्दर मांग का भुगतान करे। यदि कोई मांग उस वर्ष की समाप्ति तक बकाया रहती है तो उसे आगामी वर्ष के मांग एवं संग्रहण पंजिका (डी.सी.आर.) में अग्रेषित किया जाना चाहिए। यदि कोई निर्धारित मांग पत्र में निर्दिष्ट तिथि के भीतर राशि चुकाने में असफल रहता है तो विभाग बकाया राशि को राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 49 और राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 52 के अनुसार भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 42 से 53 एवं राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 38 से 50 के अनुसार, किसी व्यवहारी से बकाया एवं वसूली योग्य मांग को भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली के प्रयोजन हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (भू-राजस्व अधिनियम), 1956 के अन्तर्गत सभी शक्तियां प्राप्त हैं तथा वह सभी कार्य कर सकता है जिसमें मांग आदेश जारी करना, सम्पत्ति की कुर्की तथा बेचान करने की प्रक्रिया भी शामिल है।

ऐसे प्रकरणों में, जहां चूककर्ताओं के पास राज्य में कोई भी सम्पत्ति न हो किन्तु अन्य किसी राज्य में उनकी सम्पत्ति हो, तो सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी, राजस्व वसूली अधिनियम (आर.आर. अधिनियम), 1890 के प्रावधानों के अनुसार मांग प्रकरणों को उन राज्यों के जिला कलेक्टर को अग्रेषित करता है, जिसमें उनकी सम्पत्ति है।

2.9.2 संगठनात्मक ढांचा

आयुक्त वाणिज्यिक कर उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करता है जिन पर सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार का समग्र नियंत्रण रहता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता के लिए 8 अतिरिक्त आयुक्त,

34 उपायुक्त एवं एक वित्तीय सलाहकार है। सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कर निर्धारण कार्यों के लिये वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) को 14 संभागों में बांटा गया है। पुरानी बकाया की वसूली पर निगरानी के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में निरीक्षण, अंकेक्षण एवं वसूली (आई.ए.आर.) शाखा का पृथक से गठन किया गया है। संभाग स्तर पर उपायुक्त (प्रशासन) जो कि सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वह अतिरिक्त आयुक्त, निरीक्षण, अंकेक्षण एवं वसूली (आई.ए.आर.) के नियन्त्रणाधीन वसूली पर निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

कर निर्धारण एवं वसूली का कार्य वृत्तों एवं घटों में पदस्थापित निर्धारण अधिकारियों क्रमशः सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाता है। निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु 11 उपायुक्त (अपील्स) कार्यरत हैं, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहलाते हैं।

2.9.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि:

- संचित बकाया की मात्रा एवं उसके एकत्र होने के कारण;
- क्या अधिनियमों एवं नियमों में वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया;
- बकाया कर के संग्रहण तंत्र की कुशलता एवं प्रभावशीलता; तथा
- क्या बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु सुदृढ़ आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी का तंत्र विद्यमान है।

2.9.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिए गये:

राज्य कानून

- राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954/1994;
- राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955/1995;
- राजस्थान वैट अधिनियम, 2003;
- राजस्थान वैट नियम, 2006;

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं टर्न ओवर) नियम, 1957

2.9.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रक्रिया

अवधि 2007-08 से 2011-12 में विभाग की प्राप्तियां ₹ 7,750.73 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,766.43 करोड़ (103 प्रतिशत) हो गयी। यद्यपि, इसी अवधि में करों की बकाया राशि भी ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ हो गयी। इसलिए, माह अप्रैल 2012 एवं मई 2013 के मध्य बकाया की वसूली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें कर की बकाया के संचयन तथा उसकी विभाग द्वारा वसूली नहीं किये जाने के कारणों की जांच की जानी थी।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय के साथ-साथ 14 वृत्तों¹ के वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के अभिलेखों का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु किया गया। राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की बकाया की स्थिति का प्रतिनिधित्व दर्शाने हेतु प्रत्येक संभाग से एक वृत्त का चयन किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, वृत्त विशेष-III, जयपुर एवं उपायुक्त (अपील) जयपुर-I के कार्यालयों का भी प्रारम्भिक अध्ययन हेतु चयन किया गया। चयनित वृत्तों एवं घटों में बकाया के कुल 51,809 प्रकरण थे, उनमें से 4,389 प्रकरणों का जोखिम के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। विभाग द्वारा 3,801 प्रकरणों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच की गयी, 566 पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी तथा 22 पत्रावलियाँ विधि शाखा के पास बतायी गयी।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं उप सचिव (कर), वित्त विभाग के साथ एक प्रारम्भिक सभा 25 अक्टूबर 2012 को की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र, प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। सरकार तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अगस्त 2013 में तथ्यात्मक विवरण अग्रेषित किया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के साथ 24 अक्टूबर 2013 को एक समापन सभा रखी गई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त उनके प्रत्युत्तरों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

2.9.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

¹ वृत्त: बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष द्वितीय-जोधपुर, झंझु, बी-कोटा, मकराना, राजममन्द, मिरोही, विशेष-श्रीगंगानगर, बी-उदयपुर तथा प्रतिकरापवंचन-II राजस्थान, जयपुर।

2.9.7 बकाया की स्थिति

2.9.7.1 विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2012 को कुल ₹ 4,838.04 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। अवधि वर्ष 2007-08 से 2011-12 की वर्षवार बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	वसूली का प्रतिशत (कॉलम 4 का 2 से)	वर्ष के अन्त में बकाया राजस्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007-08	2,665.48	1,471.21	1,139.73	43	2,996.96
2008-09	2,996.96	1,918.47	1,192.05	40	3,723.38
2009-10	3,723.38	2,105.33	1,250.67	34	4,578.04
2010-11	4,578.04	2,070.25	1,558.35	34	5,089.94
2011-12	5,089.94	1,910.69	2,162.59	42	4,838.04

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विभाग की प्राप्तियां ₹ 7,750.73 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,766.43 करोड़ (103 प्रतिशत) हो गई एवं इसके साथ-साथ ही बकाया राजस्व भी ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ (61 प्रतिशत) हो गई। वसूली योग्य कुल बकाया में से 34 से 43 प्रतिशत ही बकाया की वसूली हुई।

2.9.7.2 बकाया मांग का अवधिवार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लम्बित बकाया	राशि	बकाया का प्रतिशत
एक वर्ष से कम पुरानी मांग	1,757.02	36.32
1 एवं 2 वर्ष के मध्य की पुरानी मांग	1,217.94	25.17
2 एवं 5 वर्ष के मध्य की पुरानी मांग	675.40	13.96
5 एवं 10 वर्ष के मध्य की पुरानी मांग	630.92	13.04
10 वर्ष से अधिक पुरानी मांग	556.76	11.51
योग	4,838.04	100.00

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

बकाया राशि में ₹ 1,187.68 करोड़ (24.55 प्रतिशत) पांच वर्ष से अधिक से बकाया थी, जिसमें से ₹ 556.76 करोड़, जो कि 11.51 प्रतिशत होती है, 10 वर्ष से अधिक बकाया चल रही थी। विभाग द्वारा बकाया के निपटान हेतु कोई भी मानदण्ड/लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किये जाने से समय व्यतीत होने के साथ-साथ ऐसे बकाया की वसूली उत्तरोत्तर कठिन होती जावेगी।

विभाग ने अपने उत्तर (जून 2013) में स्वीकारा कि अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान बकाया की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। हालांकि, आयुक्त द्वारा प्रत्येक संभाग के लिये वर्ष 2012-13 में बकाया की वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा समापन सभा के दौरान अवगत कराया कि विभाग बकाया की वसूली नहीं किये जाने पर शून्य सहिष्णुता की नीति रखता है तथा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई वसूली पर गहन निगरानी रखने के लिये उच्चाधिकारियों को कहा गया है। यह भी बताया है कि बकाया राशि में वृद्धि नहीं हो, इसलिये विभाग मांग की वसूली पर तत्परता से कार्यवाही करता है।

2.9.8 बकाया की श्रेणियां

विभाग द्वारा बकाया को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2010, 2011 एवं 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बकाया राशि की स्थिति निम्न थी:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2012
1	आई.टी.सी./जमाओं के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण बकाया	1,066.22	1,197.54	527.21
2	घोषणा पत्रों (सी.एस.टी./आर.एस.टी./आर. वैट) को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बकाया	876.66	1,262.93	973.91
3	एकपक्षीय कर निर्धारण	371.53	436.72	468.92
4	विभिन्न न्यायालयों में स्थगन	420.37	598.80	956.98
5	लापता व्यवहारी	269.36	323.36	331.16
6	विभाग द्वारा वसूली योग्य माना गया बकाया	368.09	548.57	664.91
7	ऐसे व्यवहारियों पर मांग जिनकी इकाईयां सी.आई.एफ.आर. में हैं	137.40	153.21	119.59
8	अभियोजन प्रकरण जिनमें स्थगन नहीं दिया गया	89.61	91.75	94.77
9	आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली	80.52	85.11	32.28
10	ऐसे व्यवहारियों पर मांग जिनकी इकाईयां समापन में हैं	72.37	74.02	76.26
11	बकाया मांग जिसका अपलेखन होना है	43.06	60.95	68.83
12	एल.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली	32.35	55.71	127.75
13	विभाग/अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों द्वारा निर्धारित बकाया मांग व्यवहारियों द्वारा किरतों में चुकाया जाना है	53.51	42.01	39.75
14	राजकीय विभागों के विरुद्ध बकाया मांग	13.83	20.52	13.65
15	ऐसे व्यवहारियों पर मांग जिनकी इकाईयां रूग्ण इकाई घोषित की जा चुकी है	6.68	6.62	4.45
16	अन्य	676.48	132.12	337.62
	योग	4,578.04	5,089.94	4,838.04

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

31 मार्च 2012 को कुल बकाया राजस्व में आई.टी.सी./जमाओं के सत्यापन (क्र.सं.1), घोषणा पत्रों (क्र.सं.2), एकपक्षीय निर्धारणों (क्र.सं.3) तथा विभाग द्वारा वसूली योग्य (क्र.सं.6) श्रेणी में ही राशि ₹ 2,634.95 करोड़ या 54 प्रतिशत बकाया है, यह राशि सक्रिय व्यवहारियों के विरुद्ध बकाया थी, इसके बावजूद भी अभी तक वसूली होना शेष है। लापता व्यवहारियों पर बकाया मांग वर्ष 2009-10 में ₹ 269.36 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 331.16 करोड़ हो गई है। विभाग ऐसे मामलों में कार्यवाही करने में भी शिथिल रहा, जहां बकाया राशि को अपलेखित किया जाना था, जैसा कि ये प्रकरण आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय के पास लम्बित थे तथा ऐसी बकाया राशि 31 मार्च 2010 में ₹ 43.06 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2012 में ₹ 68.83 करोड़ हो गई। इसके अलावा, बकाया राशि का एक बड़ा भाग ₹ 956.98 करोड़ या कुल बकाया राशि का 20 प्रतिशत राशि, उपायुक्त (अपील्स), राजस्थान कर बोर्ड या राजस्थान उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित था।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर ने बताया कि बकाया की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारण अधिकारी को अवधिवार एवं राशिवार दोनों ही प्रकार की पुरानी मांगों पर निगरानी रखने के लिये निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के प्रकरणों के सम्बन्ध में जल्दी सुनवाई के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.9.9 मांगों की वसूली के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया

2.9.9.1 नियन्त्रण पंजिकाओं का संधारण नहीं किया जाना

परिपत्र दिनांक 3 जनवरी 2008 के अनुसार जब किसी व्यवहारी के विरुद्ध किसी कर, शास्ति एवं ब्याज की मांग कायम की जावे तो इसे डी.सी.आर. में अंकित किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी विवरणियों में तथा कर भुगतान पंजिका में अंकित की जाती है। निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण कार्य तथा संग्रहण की प्रगति पर डी.सी.आर. के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यह भी पाया कि सभी चयनित वृत्तों में डी.सी.आर. का संधारण किया जा रहा था।

तथापि, विभाग द्वारा बकाया वसूली की प्रगति पर निगरानी हेतु पृथक से नियन्त्रण पंजिकायेँ यथा; मांग पत्र को जारी करना, व्यवहारी की चल और अचल सम्पत्ति का विवरण, स्थगन पंजिका, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, रूग्ण कम्पनियों एवं परिसमापन के तहत कम्पनियों आदि की पंजिकायेँ निर्धारित नहीं की गई। इन पृथक-पृथक पंजिकाओं के अभाव में, बकाया की सत्यता, इस राशि की समय पर वसूली की कार्यवाही करना एवं निगरानी रखने को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.9.9.2 आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया की कमी

अर्द्धशासकीय (डी.ओ.) पत्र के प्रारूप में एक सांख्यिकीय विवरणी निर्धारित की गई जिसमें प्रत्येक निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया मांग के संग्रहण एवं शेष की मासिक प्रगति सम्बन्धित संभाग के उपायुक्त (प्रशासन) के माध्यम से आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करनी होती है।

यह देखा गया कि डी.ओ. पत्र में वृत्त में पांच वर्षों से ज्यादा पुरानी बकाया का वर्षवार विवरण नहीं दिया गया था। इस कारण से पुरानी बकाया की वसूली पर वर्षवार की गई कार्यवाही पर निगरानी नहीं रखी जा सकती थी। डी.ओ. पत्र में अधिकतम बकाया कर वाले चूककर्ता व्यवहारियों के नाम एवं उनके बकाया की अवधि का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर अधिकारी/उपायुक्त स्तर पर बकाया राशि की वसूली की निगरानी केवल मासिक डी.ओ. पत्र के माध्यम से ही प्रतिवेदित करने तक सीमित था।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों से पता चला कि वसूली की प्रगति पर निगरानी के लिए उपायुक्तों द्वारा निर्धारण अधिकारी के साथ नियमित रूप से बैठक नहीं ली गई थी।

सचिव (राजस्व) द्वारा समापन सभा के दौरान अनुच्छेद संख्या 2.9.9.1 तथा 2.9.9.2 के सन्दर्भ में सुझाव दिया कि वसूली के प्रकरणों में अपवादित स्थिति को सूचित करने के लिये एक पृथक मोड्युल 'प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली' (एम.आई.एस.) लागू किया जाना चाहिए। इससे निर्धारण अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। आगामी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया (फरवरी 2014)।

2.9.9.3 वसूली प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की विशिष्ट समय सीमा का नहीं होना

यह देखा गया (अगस्त 2013) कि राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 अथवा राजस्थान वैट नियम, 2006 में या आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा (अधिसूचना/परिपत्र/ कार्यालय आदेश जारी कर) विनिर्दिष्ट समय तक वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने यथा, मांग पत्र जारी करने, बैंक खाते की कुर्की करने, जमानतियों से वसूली करने, चल एवं अचल सम्पत्ति को तलाशने, ऐसी सम्पत्ति को कुर्क तथा बेचान करने आदि को सुनिश्चित करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। भू-राजस्व अधिनियम में वसूली की कार्यवाही नहीं करने के कुछ प्रकरणों को अनुच्छेद संख्या 2.9.10 में चर्चा की गयी है।

विभाग ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि बकाया के प्रकरण विभिन्न प्रकार के होने के कारण कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। मुख्यालय पर एक करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि वाले प्रकरणों में वसूली पर

निगरानी रखी जाती है तथा उनकी वसूली की सूचना मासिक रूप से ली जाती है एवं उनकी वसूली के निर्देश दिये जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक बार जिसे बकाया घोषित कर दिया गया हो तो ऐसे सभी प्रकार के प्रकरणों में विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, इससे विभाग को बकाया राशि की समय पर वसूली में सहायता मिलेगी।

2.9.10 सम्पत्ति के कुर्की वारण्ट का क्रियान्वयन नहीं होना तथा नीलामी का अभाव

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 52 तथा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 49 सपठित राजस्थान बिक्री कर नियम के नियम 27 तथा राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 24 जिनमें यह प्रावधान है कि जहां कोई कर या अन्य देय राशि व्यवहारी से भू-राजस्व बकाया के रूप में आर.एल.आर. अधिनियम, 1956 की धारा 228 से 257 के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूलनीय है, तो उक्त कर या अन्य राशि की वसूली करने के लिए उस व्यवहारी या व्यक्ति की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बेचान करने हेतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी में शक्तियां निहित होगी।

दो वृत्तों (झुंझुनू तथा बी-भरतपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा पर पाया कि चार प्रकरणों में ₹ 69.01 लाख की वसूली नहीं हुई, जबकि भू-राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पत्ति की कुर्की के वारण्ट 8 से 36 माह के विलम्ब से जारी किये गये। इसके अलावा, एक प्रकरण में सम्पत्ति के कुर्की वारण्ट का निष्पादन नहीं होने से शीघ्र वसूली का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

यह देखा गया (फरवरी एवं मई 2013) कि निर्धारण

अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा चूककर्ता व्यवहारी की सम्पत्ति के कुर्क करने के लिए उचित प्रयास किये गये हैं, कोई निगरानी नहीं की जा रही थी। कुछ प्रकरणों में, जहां विभाग द्वारा सम्पत्ति कुर्क की गई थी, किन्तु, निर्धारण अधिकारी नीलामी करने में विफल रहे। उनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

2.9.10.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त झुंझुनू की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, पिलानी के अवधि 1988-89, 1989-90 एवं 1994-95 के लिये ₹ 26.33 लाख की मांग कायम होकर (मार्च 2000) बकाया थी। विभाग द्वारा व्यवहारी की चिड़ावा तहसील में एक संयुक्त सम्पत्ति की पहचान (फरवरी 2003) की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्च 2003 में इस सम्पत्ति का कुर्की वारण्ट जारी किया गया। यह पाया गया कि

निर्धारण अधिकारी ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक को यह सम्पत्ति कुर्क करने का निर्देश (अप्रैल 2003) दिया था लेकिन, वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा सम्पत्ति की कुर्की करने के लिये प्रत्येक अवसर पर समय बढ़ाने की मांग (मई 2003 से अक्टूबर 2009 तक) की गई। वसूली पत्रावली में इसके अलावा कोई पत्राचार नहीं पाया गया।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 की मांग ₹ 26.27 लाख को नवम्बर 2005 में उपायुक्त (अपील) बीकानेर द्वारा अपास्त कर दिया गया एवं 1994-95 की मांग ₹ 0.06 लाख वसूली योग्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पूर्ण राशि को अभिलेखों में बकाया दर्शाया जा रहा था तथा मांग ₹ 26.33 लाख की वसूली हेतु अगस्त 2009 में संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया गया था।

2.9.10.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त झुंझुनू, की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स सूरजगढ़ केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर प्रा.लि., सूरजगढ़ के अवधि 1992 से 1999 के लिये ₹ 14.28 लाख की मांग (अगस्त 2002) के विरुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति (कारखाना एवं संयंत्र) मई 2002 में कुर्क किये गये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा कारखाना एवं संयंत्र की नीलामी के लिये मई 2002 एवं फरवरी 2013 के मध्य कई बार सूचना पत्र जारी किये लेकिन किसी भी बोलीदाता को आकर्षित करने में असफल रहे।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि अक्टूबर 2013 में ₹ 8.66 लाख वसूल किये जा चुके हैं तथा शेष मांग की समाप्ति के लिए व्यवहारी द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर को लिखा गया है।

2.9.10.3 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भरतपुर, की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (फरवरी 2013) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स शंकरलाल ओमप्रकाश, भरतपुर के अवधि 1994-95 की बकाया मांग ₹ 23.82 लाख के लिये अचल सम्पत्ति कुर्क (अप्रैल 1996) कर रखी थी। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा कुर्क सम्पत्ति के लिये अगस्त 1996 से सितम्बर 2011 के दौरान कई बार नीलामी का प्रयास किया गया, किन्तु किसी भी बोलीदाता ने नीलामी प्रक्रियाओं में भाग नहीं लिया। सितम्बर 2011 के पश्चात् कोई कार्यवाही होना नहीं पाया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि किसी भी बोलीदाता के नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने से नीलामी नहीं की जा सकी।

2.9.10.4 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त झुंझुनू, की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स जीवनराम बीरबलराम के अवधि 1988 से 1990 के लिये मार्च 1994 में कायम मांग ₹ 4.58 लाख के विरुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा फरवरी 1996 से जुलाई 2010 के दौरान कई बार कुर्क सम्पत्ति की नीलामी का प्रयास

किया गया। किन्तु, सम्पत्ति को नहीं बेचा जा सका। वसूली पत्रावली में इसके अलावा कोई पत्राचार नहीं पाया गया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि पर्याप्त प्रचार के बावजूद भी सम्पत्ति को नीलाम नहीं किया जा सका। उत्तर में यह भी बताया कि सम्पत्ति के बेचान के लिए नीलामी की आगामी तिथि 13 फरवरी 2014 नियत की गयी है।

काफी समय बीत जाने के बाद भी विभाग उन व्यवहारियों से बकाया की वसूली करने में विफल रहा, जिनकी सम्पत्तियों की पहचान होकर कुर्की की जा चुकी थी।

विभाग द्वारा कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी किये जाने में लगातार विफलता के बावजूद, ऐसी विफलता के पीछे कारणों एवं कमियों की पहचान करने के लिये किसी प्रणाली को विकसित नहीं किया गया। राजस्व की वसूली के लिये नीलामी की एक उचित प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बताया गया कि एल.आर. अधिनियम के अन्तर्गत बकाया प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है तथा उपरोक्त प्रकरणों में गति देने के लिये पुनः निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.9.11 लापता व्यवहारियों से बकाया की वसूली नहीं किया जाना

अधिनियम अथवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंजीयन के समय व्यवहारियों एवं उनके जमानतियों की चल एवं अचल सम्पत्ति के बारे में सूचना प्राप्त की जाये। इस कारण से विभाग द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु व्यवहारियों एवं उनके जमानतियों के चल और अचल सम्पत्ति सम्बन्धी उचित रिकार्ड नहीं रखे जा रहे थे। परिणामतः विभाग, बकाया कर के भुगतान में चूक करने पर व्यवहारियों या उनकी सम्पत्ति की तलाश नहीं कर सका। यह देखा गया कि छः प्रकरणों में चूक होने पर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई बल्कि, दो से तीन वर्षों तक एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश जारी किये जाते रहे एवं कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के माध्यम से ऐसे व्यवहारियों की तलाश करने के कोई प्रयास भी नहीं किये गये थे। यद्यपि, तब तक व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर चुके थे।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ₹ 331.16 करोड़ की बकाया ऐसे व्यवहारियों के विरुद्ध थी, जिनके बारे में विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे कुछ प्रकरण, जिनमें ₹ 5.43 करोड़ का बकाया का दायित्व था, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है:

2.9.11.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (दिसम्बर 2012 एवं अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैमर्स सुभिक्षा ट्रेडिंग सर्विस लि., जयपुर मई 2007 में पंजीकृत हुआ था जिस पर वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए कर निर्धारण (मार्च 2010 एवं जनवरी 2011) करते हुए ₹ 1.03 करोड़ की मांग कायम की गई। व्यवहारी द्वारा मांग जमा नहीं करायी गई तथा मांग पत्र तामिल हुए बिना लौट आये थे। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर

अधिकारी द्वारा सूचित किया गया (जून 2011) कि दिये गये पते पर फर्म अस्तित्व में नहीं थी एवं प्रबन्धक के निवास के बारे में भी कोई सूचना नहीं थी।

निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की कोई भी चल तथा अचल सम्पत्ति की तलाश नहीं की जा सकी। इसके पश्चात, व्यवहारी को लापता श्रेणी में मान लिया गया। इसके बाद व्यवहारी के बारे में जानकारी करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रयास नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य बकाया ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई जिसमें ₹ 0.67 लाख की शास्ति शामिल है।

पत्रावली की संवीक्षा से यह भी पता चलता है कि व्यवहारी पंजीयन के वर्ष (2007) में ही चूककर्ता बन चुका था। यदि चूक होने के प्रथम वर्ष में ही निर्धारण अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर ली जाती, तो बकाया को संचित होने से रोका जा सकता था।

विभाग ने प्रत्युत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि राशि ₹ 47.34 लाख आई.टी.सी. के सत्यापन किये जाने के बाद मांग में कमी की गयी। सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि निदेशकों को सूचना पत्र जारी किये जा चुके हैं।

2.9.11.2 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, कोटा की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2012 एवं अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, कोटा ने वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 की अवधि के लिए निर्धारित की गई मांग ₹ 3.37 करोड़ को जमा नहीं कराया। मांग पत्र तामिल हुये बिना ही लौट आया था (जुलाई 2004)। निर्धारण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी को व्यवहारी की सम्पत्ति एवं उसके बारे में जानकारी करने के निर्देश (मार्च 2008) दिये। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ने सूचित किया (फरवरी 2009) कि व्यवहारी चार वर्ष पूर्व ही अपना व्यवसाय बन्द कर चुका था तथा लापता था। व्यवहारी की सम्पत्तियों या जमानतियों को तलाशने सम्बन्धी कोई आगे कार्यवाही नहीं की गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.55 लाख जमानतियों एवं राष्ट्रीय बचत पत्र से वसूल किये जा चुके थे।

2.9.11.3 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अप्रैल 2012 एवं अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स एस. रोबर्ट्स फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर पर अवधि 2002 से 2005 तक के लिए मार्च 2005 से मार्च 2007 के दौरान निर्धारित किये गये कर के ₹ 22.86 लाख बकाया थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा जुलाई एवं अगस्त 2012 में वसूली हेतु सूचना पत्र जारी किये। किन्तु, ये तामिल हुए बिना लौट आये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी या उसकी सम्पत्ति की तलाश नहीं की जा सकी। निर्धारण अधिकारी जमानतियों के अता-पता ढूढ़ने में भी असफल रहे। इसके पश्चात व्यवहारी को लापता घोषित कर दिया था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वसूली के लिये जमानतियों को सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं।

2.9.11.4 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स अलमीजन लेदर प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर पर अवधि 1985 से 1988 के लिए ₹ 11.97 लाख कर के बकाया थे। पत्रावली की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि व्यवहारी की सम्पत्ति चैन्नई में स्थित होने से निर्धारण अधिकारी द्वारा आर.आर. अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कलेक्टर, चैन्नई के माध्यम से वसूली कराये जाने के लिये कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया (अप्रैल 1992, जुलाई 1994 एवं मई 2013)। निर्धारण अधिकारी द्वारा कलेक्टर, जयपुर से बीस वर्ष में केवल तीन बार ही पत्राचार किया गया। तथापि, व्यवहारी से कोई वसूली नहीं की जा सकी। इसके पश्चात् व्यवहारी को लापता घोषित किया गया।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि आगामी प्रगति से शीघ्र अवगत करा दिया जावेगा।

2.9.11.5 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, श्रीगंगानगर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स रोशनलाल राजेश कुमार, सादुलशहर पर अवधि 2002-03 एवं 2003-04 के लिए ₹ 2.97 लाख बकाया थे। वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2004 एवं मार्च 2006) कि व्यवहारी ने मई 2003 में व्यवसाय बन्द कर दिया एवं फर्म के सभी भागीदार दिवालिया एवं लापता हो गये। निर्धारण अधिकारी द्वारा जमानतियों को सूचना पत्र (दिसम्बर 2005) जारी किये गये तथा एक जमानती से ₹ 0.10 लाख वसूल किये गये। यद्यपि, व्यवहारी की सम्पत्ति की पहचान नहीं कर पाने से व्यवहारी से कोई भी राशि वसूल नहीं की जा सकी। इसके पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त हनुमानगढ़ को राष्ट्रीय बचत पत्र तथा जमानती बॉण्ड्स के नकदीकरण के लिए लिखा गया (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2013) क्योंकि व्यवहारी को पंजीयन प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय से जारी किया गया था। तथापि, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त हनुमानगढ़ से मार्च 2013 तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि व्यवहारी की संपत्ति का पता लगाने के लिये भू-राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.11.6 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर की कर निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच में पाया कि मैसर्स सी.के.दफ्तरी एण्ड ऐमोसिएट्स, उदयपुर पर 2001 से 2003 की अवधि के कर निर्धारण आदेशों (फरवरी 2010) के अनुसार ₹ 65.35 लाख की मांग बकाया थी। पत्रावली की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कर निर्धारण के पश्चात् व्यवहारियों को मांग जमा कराने हेतु मात्र दो सूचना पत्र जारी (मार्च 2010) किये गये थे। व्यवहारी द्वारा देय कर जमा नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 65.35 लाख की मांग एवं ब्याज वसूली हेतु शेष रहे थे। विभाग

ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि व्यवहारी द्वारा व्यवसाय बन्द कर दिया गया था और उसे लापता की श्रेणी में रखा गया है।

जैसा कि पूर्व में बताया, निर्धारण अधिकारी मांग की वसूली के लिये कार्यवाही करने को तत्पर नहीं थे। विभाग में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् व्यवहारियों की स्थिति एवं उनके जमानतियों की नियमित जांच किये जाने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इन व्यवहारियों की सम्पत्ति का विवरण भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि व्यवहारियों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भागीदारों एवं जमानतियों को पुनः सूचना पत्र जारी किये गये।

चूककर्ता/लापता व्यवहारियों के बारे में किसी भी जानकारी के अभाव में सरकार को देय राशि की वसूली की संभावना क्षीण है।

2.9.12 एकपक्षीय निर्धारण हुए व्यवहारियों के विरुद्ध बकाया की वसूली नहीं होना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 26 सपठित राजस्थान बिक्री कर नियम के नियम 19 तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 21 सपठित राजस्थान वैट नियम के नियम 19 जिसमें पंजीकृत व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का समय एवं रीति का प्रावधान किया गया है, तथा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 27 एवं 29 तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 22 एवं 24 में निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण करने का प्रावधान है। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 38 तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, जब एकपक्षीय (सर्वोत्तम विवेक के आधार पर) निर्धारण किया गया हो, तो व्यवहारी के प्रार्थना पत्र पर उपायुक्त (प्रशासन) उस आदेश को निरस्त करते हुये निर्धारण अधिकारी को नया कर निर्धारण आदेश पारित करने का निर्देश दे सकता है।

13 वृत्तों² के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि अवधि वर्ष 1977-78 से 2009-10 से सम्बन्धित 259 प्रकरणों में, व्यवहारियों द्वारा या तो कर निर्धारण की तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गईं या अधिसूचित तिथियों पर वे कर निर्धारण हेतु उपस्थित नहीं हुए। निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहारियों के निर्धारण आदेशों को पारित करते हुए ₹ 49.44 करोड़ की मांग कायम की गई। यह पाया कि इन व्यवहारियों ने कर

² वृत्त: बी-भारतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष द्वितीय जोधपुर, झुंझुनू, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, मिरोही, बी-उदयपुर तथा प्रतिकरापवंचन-II राजस्थान, जयपुर।

निर्धारण आदेशों को पुनः खोलने के लिये आवेदन नहीं किया था, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के अनुसार इन व्यवहारियों के विरुद्ध वसूली के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई, इसके परिणामस्वरूप मांग ₹ 49.44 करोड़ एवं ब्याज ₹ 37.81 करोड़ (मार्च 2013 तक) की वसूली नहीं हो सकी।

यह भी पाया कि इस श्रेणी के अन्तर्गत अधिकांश प्रकरण ऐसे व्यवहारियों से सम्बन्धित थे, जिन्होंने अपने व्यवसाय बन्द कर दिये थे। चूँकि, ऐसे प्रकरणों में वसूली की संभावनाएँ क्षीण होती हैं इसलिए, ये मामले निर्धारिती की अनुमानित बिक्री को अपनाने के बजाय वास्तविक बिक्री/टर्नओवर के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए थे। इन प्रकरणों में मांग को बढ़ाकर कायम करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह देखा गया कि उपरोक्त 259 प्रकरणों में से 181 प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुये। शेष 78 प्रकरणों में व्यवहारियों को मांग पत्र जारी किये गये थे। इनमें से 28 प्रकरणों में मांग आदेश पत्र दिये गये एवं 11 प्रकरणों में सम्पत्ति के कुर्की वारण्ट जारी किये गये थे।

दो वृत्तों से सम्बन्धित छः एकपक्षीय प्रकरणों में, जिनमें कर ₹ 24.01 करोड़ एवं ब्याज ₹ 16.31 करोड़ (मार्च 2013 तक) बकाया थे, की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

2.9.12.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि मैसर्स शिवा एन्टरप्राइजेज, भिवाड़ी को पंजीयन प्रमाण-पत्र जनवरी 2006 में जारी किया गया जिसे मार्च 2006 में निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण पत्रावली की संवीक्षा में पाया कि लेखा पुस्तकें एवं सम्बन्धित सूचनाएं प्रस्तुत करने के कई अवसर देने के बावजूद व्यवहारी के निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने के कारण अवधि 2005-06 का एकपक्षीय आदेश पारित (जून 2006) किया जाकर ₹ 2.63 करोड़ की मांग कायम की गई। मांग पत्र व्यवसाय स्थल पर चस्पा किया गया (जून 2006)। फिर भी, व्यवहारी द्वारा मांग को जमा नहीं कराया गया था। अभिलेखों पर आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी। परिणामतः कर ₹ 2.63 करोड़ तथा ब्याज ₹ 2.10 करोड़ (मार्च 2013 तक) की वसूली नहीं की जा सकी।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही कलेक्टर, दिल्ली (पश्चिम) के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी। सरकार ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.34 लाख की वसूली राष्ट्रीय बचत पत्र के नकदीकरण से की गयी।

2.9.12.2 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया कि मैसर्स यूकोन सेल्स कॉर्पोरेशन, भिवाड़ी को 22 अगस्त 2003 को पंजीकृत किया गया तथा 31 मार्च 2006 को पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया था। लेखा पुस्तकें तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ, यथा खरीद का ब्यौरा,

बीजक इत्यादि प्रस्तुत करने के कई मौके देने के बावजूद, व्यवहारी ने केवल माल के स्थानान्तरण के समर्थन में 'एफ' घोषणा पत्र प्रस्तुत किये थे, जिन्हें भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। व्यवहारी को बार-बार स्मरण-पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी वह निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तब एकपक्षीय निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा व्यवहारी के विरुद्ध 2003-04 से 2005-06 की अवधि के लिए कुल ₹ 3.18 करोड़ की मांग कायम की गई (जून 2006 एवं मार्च 2008)। तथापि, व्यवहारी द्वारा मांग जमा नहीं करायी गई थी। वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2006) कि व्यवहारी ने अपना व्यवसाय बन्द (नवम्बर 2005) कर दिया है एवं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पत्रावली की संवीक्षा में पाया कि व्यवहारी ने पंजीयन के समय दिल्ली का पता दिया था लेकिन पंजीयन प्रमाण-पत्र में अंकित दिल्ली के पते पर कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकार मांग ₹ 3.18 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.21 करोड़ (मार्च 2013 तक) की वसूली बकाया रही।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.37 लाख की वसूली राष्ट्रीय बचत पत्र के नकदीकरण से की गयी।

2.9.12.3 सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि मैसर्स आर.के. ग्लास, जयपुर के वर्ष 2004-05 का कर निर्धारण, लेखा पुस्तकें एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहने तथा सुनवाई की निश्चित तिथि पर व्यवहारी स्वयं के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया (मार्च 2007)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ की मांग कायम की गई तथा मांग पत्र जारी किया गया (मार्च 2007)। फिर भी, व्यवहारी ने कर राशि को जमा नहीं कराया। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की रिपोर्ट के सिवाय पत्रावली में आगे कोई पत्राचार नहीं पाया, जिसमें उन्होंने सूचित किया (फरवरी 2012) कि व्यवहारी चार से पांच वर्ष पूर्व अपना व्यवसाय बन्द कर चुका था तथा व्यवहारी की किसी सम्पत्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। पत्रावली में कोई आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी। मांग निर्धारित किये जाने के तुरन्त बाद, यदि मांग की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाती, तो वसूली की संभावना बेहतर हो सकती थी। मांग की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किये जाने से मार्च 2013 तक के ब्याज ₹ 99.13 लाख को शामिल करते हुए ₹ 2.39 करोड़ की बकाया, संचित हो गई।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि व्यवहारी की सम्पत्ति को तलाशने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.12.4 सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि मैसर्स रामप्रताप भंवरलाल के प्रकरण में अवधि 2000-01 से 2006-07 के आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज

प्रस्तुत करने के लिये व्यवहारी को कई अवसर देने के उपरान्त भी इसमें असफल रहने तथा सुनवाई की अन्तिम तिथि पर अनुपस्थित रहने से मार्च 2007 से जून 2010 के दौरान एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गए। वर्ष 2000-01 से 2006-07 की अवधि के लिए उसके विरुद्ध कुल ₹ 11.59 करोड़ का कर दायित्व कायम किया गया, जिसमें ₹ 7.31 करोड़ कर एवं ₹ 4.28 करोड़ ब्याज (मार्च 2013 तक) के शामिल थे। यह देखा गया कि व्यवहारी द्वारा जिन क्रेताओं से सौदे किये गये, उनसे प्राप्त विवरणों के आधार पर मांग कायम की गई थी।

वर्ष 2007 एवं 2008 में कुछ सूचना पत्र जारी किये गए, लेकिन व्यवहारी द्वारा मांग के विरुद्ध कोई राशि जमा नहीं करायी गई। इसके पश्चात् कोई सूचना पत्र जारी नहीं किये गये सिवाय अगस्त 2012 के, जिसे व्यवहारी ने लेने से इंकार कर दिया। निर्धारण अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर के माध्यम से भी प्रयास किये गए, जिन्होंने सूचित किया (अगस्त 2012) कि व्यवहारी द्वारा व्यवसाय बन्द कर दिया गया एवं सूचना पत्रों को भी प्राप्त नहीं कर रहा है। विभागीय नोट शीट (सितम्बर 2012) से यह भी पता चला कि व्यवहारी द्वारा प्रकरण को टैक्स सेटलमेन्ट बोर्ड में ले जाने की एकबार इच्छा अभिव्यक्त की गई थी, लेकिन, इसकी कोई अग्रिम प्रगति अभिलेख पर नहीं पायी गई।

विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लिया गया। यदि समय पर कर निर्धारण पारित कर दिए गये होते, तब व्यवहारी का व्यवसाय चालू स्थिति में होने से मांग की वसूली भी की जा सकती थी।

सरकार ने अक्टूबर 2013 में दिये गये पूर्व के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2014) कि व्यवहारी से वसूली के लिए सम्पत्ति को कुर्क करने का वारण्ट उपायुक्त (प्रशासन), अजमेर को भिजवाया गया (अक्टूबर 2012)।

2.9.12.5 सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी, अजमेर के वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के पांच एकपक्षीय निर्धारण, व्यवहारी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने एवं सुनवाई की अन्तिम तिथि को उपस्थित नहीं होने के कारण पारित किये गये (मार्च 2007 से मार्च 2008 के दौरान)। निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज आदि के पेटे कुल ₹ 6.74 करोड़ की मांग कायम की गई। इसके अलावा, मांग पर वास्तविक भुगतान तिथि तक का ब्याज भी देय था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कर निर्धारण पारित करने की तिथि से इस मांग राशि पर ब्याज ₹ 4.50 करोड़ (मार्च 2013 तक) देय बनता था। इस प्रकार, व्यवहारी से ₹ 11.24 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी।

यह देखा गया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर विक्रय योग्य टर्नओवर को छुपाने की आशंका के आधार पर एक सर्वे किया गया (सितम्बर 2005) तथा कुछ अभिलेख जन्त भी किये गये। इस सर्वे के बाद व्यवहारी के कर निर्धारण

(मार्च 2007) को अन्तिम रूप देने में लगभग दो वर्ष का समय लिया गया, इन तथ्यों के बावजूद कि कर निर्धारण आदेश वर्ष 2001-02 से पारित किये जाने बकाया थे। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी करने के अतिरिक्त वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ने सूचित किया (जून 2011) कि निर्धारिती द्वारा व्यवसाय बन्द किया जा चुका था।

यदि सर्वे के तुरन्त बाद कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने की शीघ्र कार्यवाही की जाती, तो व्यवहारी के व्यवसाय के चालू रहते मांग की वसूली की जा सकती थी। अब वसूली की संभावना क्षीण है।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वसूली के सम्बन्ध में आयकर विभाग एवं रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस में सूचनायें मांगी जा रही हैं। व्यवहारी की सम्पत्ति का कुर्की वारण्ट भी उपायुक्त (प्रशासन), अजमेर को वसूली हेतु भेजा (अक्टूबर 2012) गया है।

2.9.12.6 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया (मई 2005) कि व्यवहारी मैसर्स सनशाईन ट्रेडिंग कम्पनी, भिवाड़ी ने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया। निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2003-04 की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही विवरणियों के आधार पर वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 का एकपक्षीय निर्धारण किया (मई 2006) तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया। वर्ष 2004-05 के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने से निर्धारण अधिकारी द्वारा गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक बिक्री मानी गई। व्यवहारी द्वारा सम्पूर्ण अवधि में कोई कर जमा नहीं कराया गया था। निर्धारिती पर ₹ 2.75 करोड़ की मांग कायम की गई तथा मांग का सूचना पत्र उसके व्यवसाय परिसर पर चस्पा किया गया। एक पत्र के अतिरिक्त, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा (जून 2010) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-उदयपुर को व्यवहारी के बारे में सतर्क करने को लिखा गया, पत्रावली पर कोई और पत्राचार नहीं पाया गया। अभिलेख पर आगामी प्रगति नहीं पायी गई। इस प्रकार, वसूली योग्य मांग ₹ 2.75 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.23 करोड़ (मार्च 2013 तक) बकाया रही।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.37 लाख की वसूली राष्ट्रीय बचत पत्रों से की गयी तथा कलेक्टर, बुलन्दशहर को आर.आर.अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

ऐसा देखा गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति पर निगरानी नहीं रखने के परिणामस्वरूप निर्धारण में विलम्ब हुआ। व्यवहारी की स्थिति पर जब तक वाणिज्यिक कर अधिकारी/कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सूचना दी जाती तब तक तो वे अपना व्यवसाय बन्द कर चुके होते। एकपक्षीय कर निर्धारण किये गये, किन्तु वसूली की संभावनायें क्षीण थी।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बताया गया कि निर्धारण अधिकारी को एकपक्षीय निर्धारण से बचने के लिये वांछित विवरणियों की प्रस्तुतिकरण पर गहन निगरानी के लिये कहा गया है। उन्होंने एकपक्षीय निर्धारण के प्रकरणों में यह भी बताया कि निर्धारण अधिकारियों को प्रकरण पुनः खोलने एवं मांग की पुनः जांच करने हेतु कहा गया है।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि 17 प्रकरणों में ₹ 62.34 लाख की मांग की वसूली की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.13 कर संग्रहण करने वाले ठेकेदारों से बकाया की वसूली का अभाव

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 तथा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 77 के अनुसार, आयुक्त एक ठेकेदार को समय-समय पर अधिसूचित दरों पर कर संग्रहण की अनुमति दे सकता है। राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 44(i) में प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा कुल संग्रहित कर या वार्षिक कर राजस्व का 1/52वां भाग, जो भी ज्यादा हो, को प्रत्येक सोमवार को जमा कराया जायेगा। ऐसी राशि को उक्त रीति से जमा कराने में जहां ठेकेदार असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसी राशि को ऐसी रीति से वसूल करेगा जैसे कि यह इस अधिनियम के अन्तर्गत बकाया मांग राशि है। इसके अलावा, पूर्व में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ठेका राशि के 25 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति का स्वामी होने का सक्षम भू-राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जिसे अब हटाया जा चुका है। नियम 44(j) के अनुसार, यदि ठेकेदार किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद आयुक्त द्वारा ठेके को निरस्त किया जा सकेगा।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि बैंक पोस्टों पर कर संग्रहण में लगे ठेकेदारों द्वारा निर्धारित तिथियों पर देय कर जमा नहीं कराया गया तथा विभाग द्वारा कर की वसूली के लिये शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई। यह भी पाया गया कि सही समय पर इन ठेकेदारों के ठेके भी निरस्त नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप चार वृत्तों³ के आठ प्रकरणों, जिनकी चर्चा नीचे की गई है, में राशि ₹ 5.11 करोड़ का बकाया राजस्व संचित हो गया:

2.9.13.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स जसवन्त सिंह एण्ड पार्टी, जोधपुर को उदयपुर जिले

³ वृत्त: बी-भिवाड़ी, बी-कोटा, मकराना एवं बी-उदयपुर।

में राजस्व *तहसील* मावली, वल्लभनगर, सलूमबर तथा गिर्वा में *बजरी* पर 16 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2002 तक की अवधि का कर संग्रहण का ठेका प्रथम वर्ष के लिये ₹ 1.07 करोड़ एवं द्वितीय वर्ष के लिये ₹ 1.18 करोड़ के एवज में जारी किया गया (जुलाई 2000)। ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि में ₹ 1.03 करोड़ विभिन्न समय पर विलम्ब से जमा कराये गये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित कर (मार्च 2002 एवं सितम्बर 2002) ठेका अवधि के लिये ₹ 1.41 करोड़ (₹ 0.19 करोड़ ब्याज शामिल करते हुये) की मांग कायम की गई। इसके पश्चात्, ₹ 0.38 करोड़ वसूल/समायोजित किये गये तथा मई 2005 में ₹ 1.03 करोड़ बकाया रहे। ठेकेदार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें आयुक्त वाणिज्यिक कर को विवाद का शीघ्र निपटान करने के निर्देश (अगस्त 2004) दिये गये। विभाग द्वारा मई 2005 से सितम्बर 2011 के दौरान 12 बार सुनवाई की तिथि नियत की गई, किन्तु ठेकेदार किसी भी तिथि को उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण दस वर्ष से ज्यादा पुराना हो जाने से ₹ 1.03 करोड़ तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सम्भावना क्षीण है।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि आगामी कार्यवाही की जा रही है।

2.9.13.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि श्री जैजसाब को उदयपुर जिले की राजस्व *तहसील* सराड़ा में *बजरी* पर कर संग्रहण का ठेका 1 जुलाई 2000 से 30 जून 2002 तक की अवधि का ₹ 8 लाख प्रथम वर्ष के लिये एवं ₹ 8.81 लाख द्वितीय वर्ष के एवज में जारी (जून 2000) किया गया। मासिक कर संग्रहण की किश्त ₹ 70,044 निर्धारित की गई थी। यद्यपि, जुलाई 2000 से मार्च 2001 की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह भिन्न-भिन्न राशि जमा करायी गई थी, जो कि निर्धारित किश्त से कम थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित कर (अक्टूबर 2002) ₹ 4.84 लाख वसूल की गई राशि को समायोजित करते हुये ₹ 14.87 लाख (ब्याज ₹ 2.90 लाख शामिल) की मांग कायम की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार तथा जमानतियों की सम्पत्ति कुर्की हेतु वारण्ट मार्च एवं अक्टूबर 2003 के बीच उनके धौलपुर के पते पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त धौलपुर के माध्यम से भेजे। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार एवं जमानती को मांग आदेश जारी किये गये (अगस्त 2009)। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया ₹ 14.87 लाख एवं ब्याज की वसूली हेतु कोई प्रयास भी नहीं किये गये।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि ₹ 1.40 लाख बैंक गारण्टी से वसूल कर लिये गये थे।

2.9.13.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के एक अन्य प्रकरण में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स गणपत सिंह अभय सिंह, भीलवाड़ा को उदयपुर जिले में राजस्व *तहसील* खैरवाड़ा, कोटड़ा तथा झाल्लरा में पशुधन पर कर संग्रहण का ठेका 18 अक्टूबर 2000 से 17 अक्टूबर 2001 तक की अवधि के

लिये जारी किया गया (सितम्बर 2000)। तत्पश्चात् ठेके को 17 जनवरी 2002 तक ₹ 94.39 लाख के एवज में बढ़ाया गया। ठेकेदार द्वारा यह राशि विलम्ब से जमा करायी गई, जिसके कारण से निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 6.69 लाख के ब्याज की मांग कायम की गयी (अगस्त 2002)। यह ध्यान में आया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा इस ब्याज राशि की वसूली के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये, जैसा कि सात वर्षों के बीत जाने के बाद ठेकेदार एवं जमानतियों को प्रथम मांग पत्र जारी किये गये (जुलाई 2009)। भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदार तथा जमानती को मांग आदेश अगस्त 2009 में जारी किये गये। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप मांग ₹ 6.69 लाख एवं उस पर ब्याज की वसूली नहीं की गई।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि जनवरी 2014 में एक सूचना पत्र जारी किया गया।

2.9.13.4 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के ही एक और प्रकरण में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स मेवाड् एसोसिएट्स, उदयपुर को राशि ₹ 60.10 लाख के एवज में चेंज पत्थर पर कर संग्रहण का ठेका 28 दिसम्बर 2002 से 27 दिसम्बर 2003 की अवधि हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात्, ठेके को दो माह के लिये फिर से बढ़ाया गया। ठेके की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 28 तारीख को ₹ 4.29 लाख अग्रिम कर के रूप में जमा कराये जाने थे। ठेकेदार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के लिये कोई कर राशि जमा नहीं करायी गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के लिये निर्धारण आदेश पारित कर (जनवरी तथा अप्रैल 2004) ₹ 9.96 लाख (₹ 1.38 लाख की ब्याज एवं शास्ति सहित) की मांग कायम की। तत्पश्चात्, मांग में से ₹ 3.36 लाख समायोजित कर वसूली योग्य मांग ₹ 6.60 लाख बकाया रहे। निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार व जमानती को कुर्की के सूचना पत्र जारी किये गये (अगस्त 2009)। बकाया के वसूली की आगामी कार्यवाही पत्रावली पर नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भागीदार को एक सूचना पत्र दिसम्बर 2013 में जारी किया गया है।

2.9.13.5 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, कोटा के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स अफसर अली एण्ड पार्टी को कोटा जिले में अनन्तपुरा, जगपुरा, रेतिया चौकी, लखावा तथा गोबरिया बावड़ी में चेंज पत्थर पर कर संग्रहण हेतु जांच चौकी चलाने के लिये 18 मार्च 2002 से 17 मार्च 2003 की अवधि का ठेका ₹ 85.79 लाख में स्वीकार किया गया (मार्च 2002)। ठेके की अवधि को 13 मई 2004 तक आगे बढ़ाया गया। ठेकेदार का निर्धारण अप्रैल 2004 में किया गया। ठेकेदार के विरुद्ध, बैंक गारन्टी को जब्त कर एवं राष्ट्रीय बचत पत्र का नकदीकरण किये जाने के पश्चात्, ₹ 25.97 लाख बकाया रहे। बकाया मांग की वसूली के लिये निर्धारण अधिकारी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तथापि, फर्म की सम्पत्ति नीलाम नहीं की जा

सकी, क्योंकि सम्पत्ति का स्वामित्व उसके नाम पर नहीं था। विभाग द्वारा फर्म के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई (अगस्त 2004)। राशि ₹ 25.97 लाख की वसूली के लिये कोई आगामी प्रगति नहीं पायी गई थी।

निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेका जारी करने से पहले ही फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर ली गई होती, तो विभाग इस राशि को वसूल कर सकता था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भागीदारों को जनवरी 2014 में सूचना पत्र जारी किये गये।

2.9.13.6 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (अप्रैल 2013) कि श्री नेतराम को राजस्व *तहसील* तिजारा में लौह स्क्रैप एवं अलौह स्क्रैप पर कर संग्रहण के लिये 12 अगस्त 2009 से 11 अगस्त 2010 की अवधि के लिये ₹ 5.77 करोड़ के वार्षिक कर राजस्व (ए.टी.आर.) के एवज में एक ठेका (जुलाई 2009) स्वीकार किया गया। ठेकेदार द्वारा वांछित कर जमा नहीं कराया गया। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को अनुबन्ध निरस्तीकरण हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, इसके विरुद्ध ठेकेदार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ से तथा इसके पश्चात् डबल पीठ से स्थगन प्राप्त कर लिया। स्थगन 2 अप्रैल 2010 को हटा दिया गया। ₹ 2.23 करोड़ की बैंक गारन्टी, स्थायी जमा, ठेकेदार द्वारा चुकाया गया कर को समायोजित किये जाने के बाद कुल ठेका अवधि के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किया (नवम्बर 2010) जाकर शुद्ध मांग ₹ 4.21 करोड़ (ब्याज ₹ 0.67 करोड़ सहित) की कायम की गई थी। इसके पश्चात् ₹ 1.20 करोड़ जमानतियों में एवं ठेकेदार को देय संग्रहण प्रभार के रूप में वसूल किये गये। इस प्रकार, ₹ 3.01 करोड़ की मांग ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया थी।

कर निर्धारण पत्रावली की संवीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा दो वर्षों में कोई मांग पत्र जारी नहीं किये गये। यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के आवेदन पत्र में अचल सम्पत्ति का विवरण अंकित नहीं किया गया। यद्यपि, विभाग द्वारा इसका प्रावधान निविदा प्रपत्र में किया गया था। अक्टूबर 2012 में निर्धारण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी को ठेकेदार की चल एवं अचल सम्पत्ति की तलाश करने के लिये निर्देश दिये गये। वसूली पत्रावली पर, जिसकी आगामी प्रगति नहीं पायी गई।

विभाग ने एक ऐसे ठेकेदार को बड़ी राशि का ठेका देना स्वीकार किया जिसके पास कोई स्थायी सम्पत्ति ही नहीं थी। ठेके के नियम एवं शर्तों में भी सम्पत्ति के विवरण दिये जाने को अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि कलेक्टर को आर.आर.अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली करने को लिखा जा चुका है।

2.9.13.7 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी के एक अन्य प्रकरण में श्री विनोद तंवर को तिजारा तहसील में ईटों पर कर संग्रहण का ठेका 24 दिसम्बर 2008 से 23 दिसम्बर 2010 तक की अवधि का प्रथम वर्ष में ₹ 50 लाख एवं द्वितीय वर्ष में ₹ 55 लाख की राशि के एवज में जारी किया गया (दिसम्बर 2008)। निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 48.92 लाख का समायोजन देते हुये उक्त अवधि का कर निर्धारण किया (फरवरी 2011) जाकर मांग ₹ 65.17 लाख (ब्याज ₹ 9.09 लाख सहित) की कायम की गई। इसके पश्चात्, ₹ 4.17 लाख एक जमानती से वसूल किये गये तथा ठेकेदारों को देय संग्रहण प्रभार के ₹ 14.85 लाख समायोजित किये गये और इस प्रकार ₹ 46.15 लाख की मांग बकाया रही। विभाग एक अन्य जमानती से जमानत राशि वसूल नहीं कर सका, यद्यपि, कुर्की वारण्ट जारी किया (दिसम्बर 2010) जाकर तामील हो चुका था (अगस्त 2012)।

यह देखा गया कि ठेकेदार की सम्पत्ति का विवरण तथा उसको जारी कुर्की वारण्ट की प्रति वसूली पत्रावली में नहीं पायी गयी, यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी को निर्देशित (अप्रैल 2012) करने वाला पत्र, कि जारी कुर्की वारण्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे, पत्रावली में पाया गया।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भू-राजस्व प्राधिकारियों से कहा गया है कि ठेकेदार की सम्पत्ति के विक्रय पर रोक लगायी जाये।

2.9.13.8 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त मकराना, की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अप्रैल 2013) कि श्री जयसिंह, नावां को तहसील नावां एवं मकराना में चंज पत्थर एवं बजरी पर 6 जून 2009 से 5 जून 2010 तक की अवधि का कर संग्रहण का ठेका ₹ 56 लाख के एवज में जारी किया गया (मई 2009)। ठेकेदार द्वारा 6 जून 2009 से 1 सितम्बर 2009 की अवधि में कर का कोई भुगतान नहीं किया गया था तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर को ठेका निरस्त करने का आवेदन किया गया (1 सितम्बर 2009), जिसे स्वीकार कर लिया गया था (18 सितम्बर 2009)। निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अवधि (6 जून 2009 से 5 जून 2010) का निर्धारण आदेश पारित किया जाकर ठेकेदार के विरुद्ध ₹ 56 लाख की मांग कायम की गई। ठेकेदार को मांग पत्र तामील किया गया (जनवरी 2010)। सम्पत्ति की कुर्की के लिये सूचना पत्र भी जारी किये गये (अप्रैल एवं अगस्त 2011)। ठेकेदार द्वारा मांग जमा नहीं करायी गई थी, फलतः निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 9.34 लाख की बैंक गारन्टी जम्ब्त की गई। इसके पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली हेतु सूचना पत्र फरवरी 2012 में ठेकेदार को डाक से भेजा गया तथा दूसरा सूचना पत्र अगस्त 2012 में व्यक्तिशः तामील कराया गया। मार्च 2013 में जारी सूचना पत्र इस टिप्पणी के साथ पुनः लौट आया कि ठेकेदार पते पर नहीं पाया गया।

यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध पूर्ण वार्षिक कर राजस्व (ए.टी.आर.) राशि प्रभारित कर अनियमित मांग का निर्धारण किया गया था जबकि यह आनुपातिक आधार पर होना था क्योंकि अनुबन्ध के क्लॉज 3 में

स्पष्ट लिखा है कि ठेकेदार द्वारा ठेका निरस्त करने के आवेदन करने के प्रकरण में ठेकेदार आनुपातिक आधार पर ए.टी.आर. राशि चुकाने का उत्तरदायी होगा। इसके अनुसार, अवधि 6 जून 2009 से 18 सितम्बर 2009 का ठेकेदार पर कर दायित्व ₹ 15.96 लाख बनता है जिसमें से ₹ 9.34 लाख की बैंक गारन्टी को समायोजित किये जाने के बाद ₹ 6.62 लाख शेष बकाया रहे। इसलिये, कर निर्धारण आदेश को, संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ठेकेदार को तलाशने के प्रयास किये जाने चाहिये तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिये जमानतियों को भी सूचना पत्र जारी किये जाने चाहिये।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि उपायुक्त (अपील) अजमेर द्वारा जुलाई 2013 में वसूली पर स्थगन दे दिया गया था।

ऊपर बताये गये प्रकरणों से स्पष्ट होता है कि ठेकेदारों द्वारा कर की देय राशि एवं इसके भुगतान हेतु निर्धारित समय की पालना, दोनों ही के सम्बन्ध में बार-बार चूक होने पर भी विभाग द्वारा ठेकों को निरस्त नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया राशि बढ़ती रही। विभाग तथा निर्धारण अधिकारियों के निरूत्साही व्यवहार के चलते ठेकेदारों द्वारा लाभ उठाया गया एवं सरकार को देय सही धन की वसूली नहीं की जा सकी।

2.9.14 सक्रिय व्यवहारियों से बकाया की वसूली का अभाव

चयनित वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि दो वृत्तों के दो सक्रिय व्यवहारियों के विरुद्ध वसूली योग्य बकाया के ₹ 82.42 लाख ब्याज सहित बकाया थे। तथापि, इन बकाया को वसूल करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किये गये तथा ये मांग तीन से पांच वर्ष के समय से बकाया चल रही थी। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे की जा रही है:

2.9.14.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर के निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2012) कि मैसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इण्डिया लि., जयपुर के वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के कर निर्धारण क्रमशः मार्च 2010 तथा जनवरी 2011 में किये गये जिनमें ₹ 48.87 लाख कर के बकाया थे। पत्रावली की संवीक्षा पर पता चला कि व्यवहारी को वर्ष 2008-09 की मांग के लिये कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया। यह देखा गया कि व्यवहारी बाद के वर्षों का कर जमा करा रहा था। दोनों वर्षों की बकाया की वसूली हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में अभिलेखों में कोई प्रगति उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, व्यवहारी के विरुद्ध ₹ 48.87 लाख का कर एवं इस पर ब्याज राशि बकाया थी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि ₹ 21.47 लाख की राशि वसूल की जा चुकी है।

2.9.14.2 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी के कर निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि मै. रेलीसन इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., भिवाड़ी

पर वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 33.55 लाख की मांग बकाया थी। व्यवहारी द्वारा बाद के वर्षों का कर नियमित रूप से जमा कराया जा रहा था। पत्रावली में वर्ष 2007-08 की मांग के लिये कोई मांग पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया। राशि ₹ 33.55 लाख की मांग एवं ब्याज अब तक वसूली से शेष रही।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 25.64 लाख वसूल/समायोजित की जा चुकी है।

2.9.15 व्यवहारियों के अन्य राज्यों में स्थित सम्पत्ति से आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली नहीं किया जाना

राज्य के बाहर निवास कर रहे व्यवहारियों से या वहां उनकी सम्पत्ति हो, तो ऐसे चूककर्ता व्यवहारियों से कोई भी राशि आर.आर. अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत वसूली योग्य है। निर्धारण अधिकारी ऐसे प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजते हैं जहां चूककर्ता व्यवसाय करता था। इसके उपरान्त कलेक्टर वसूली प्रमाण पत्र अन्य राज्य के उस जिले के कलेक्टर को भेजता है जहां चूककर्ता की सम्पत्ति है या निवास कर रहा है।

चयनित किये गये वृत्तों की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया कि सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को, अन्य राज्य के राजस्व प्राधिकारी के पास वसूली हेतु भिजवाने के लिये, अप्रेषित किये गये थे। आर.आर.सी. विलम्ब से जारी करने एवं निर्धारण अधिकारी द्वारा यथेष्ट

अनुसरण कार्यवाही के अभाव में चार वृत्तों के 12 प्रकरणों में ₹ 9.09 करोड़ की वसूली नहीं हुई, इनमें से कुछ प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

2.9.15.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, कोटा की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स हिसारिया फूड्स, कोटा पर वर्ष 2001 से 2006 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 3.79 करोड़ की मांग बकाया थी। व्यवहारी की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत सितम्बर 2008 में सूचना पत्र जारी किये गये। व्यवहारी की सम्पत्तियों का पता सुनिश्चित करने के लिये वाणिज्यिक कर निरीक्षक को जनवरी 2009 में एक पत्र दिया गया। तथापि, व्यवहारी की सिरसा (हरियाणा) स्थित सम्पत्ति से आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली करने हेतु कलेक्टर, कोटा को लिखे जाने (जुलाई 2011) तक निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी थी। कलेक्टर, कोटा ने निर्धारित प्रारूप में दावे की सूचना भेजने तथा व्यवहारी की सम्पत्ति का पूर्ण विवरण भेजने को कहा (जुलाई 2011)। वसूली पत्रावली में आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि बैंक खाते से ₹ 0.45 लाख की वसूली की जा चुकी है।

2.9.15.2 सहायक आयुक्त, वृत्त राजसमन्द की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स महावीर मार्केटिंग, राजसमन्द पर वर्ष 1993 से 1995 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 39.88 लाख की मांग बकाया थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, अगस्त 2000 में कलेक्टर, राजसमन्द द्वारा वसूली के लिये आर.आर.सी. कलेक्टर, अहमदाबाद को जारी की गयी। उन्होंने अपने जवाब में सूचित किया (अक्टूबर 2011) कि चूककर्ता दिये गये पते पर नहीं रहता है। सात वर्ष बीत जाने के बाद फरवरी 2007 में आर.आर.सी. पुनः जारी की गयी। वसूली अभिलेखों पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि ₹ 0.20 लाख की राशि राष्ट्रीय बचत पत्रों से वसूल की जा चुकी है।

2.9.15.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-III, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (अप्रैल 2012) कि मैसर्स बी.आर. इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर पर वर्ष 1990-91 से 1996-97 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 48.28 लाख की मांग बकाया थी। व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर दिल्ली चला गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी तथा जमानती की सम्पत्ति कुर्क करने के लिये कुर्की वारण्ट जारी किया गया (जनवरी 1999)। व्यवहारी को उक्त वारण्ट तामील नहीं हुआ तथा इस टिप्पणी के साथ वसूली पत्रावली में फाईल कर दिया गया कि 'व्यवसाय बन्द है तथा व्यवसायी की सम्पत्ति के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है'। विभाग द्वारा जमानती से केवल ₹ 0.10 लाख की वसूली की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्च 2006 तथा नवम्बर 2011 में बकाया की वसूली हेतु कलेक्टर, जयपुर को पत्र लिखे गये। अभिलेखों पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि कलेक्टर, जयपुर को वसूली हेतु मार्च 2012 तथा मई 2013 में पत्र लिखे गये थे। सरकार ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि कलेक्टर, जयपुर को आर.आर.सी की प्रति पुनः भेजी गयी है।

2.9.15.4 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-1, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2012) कि मैसर्स सूर्या एग्री ऑयल लि., जयपुर पर वर्ष 1999-2000 से 2001-02 की अवधि के लिये निर्धारित मांग ₹ 2.58 करोड़ बकाया थी। व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर भोपाल चला गया। सितम्बर 2004 में कलेक्टर, जयपुर द्वारा कलेक्टर, भोपाल को वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी किया गया। तत्पश्चात, निर्धारण अधिकारी द्वारा कलेक्टर, भोपाल को फरवरी 2011 तक निरन्तर पत्र लिखे जाते रहे लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यह देखा गया कि पंजीयन प्रमाण-पत्र के अनुसार फर्म के निदेशक एवं

जमानती राजस्थान में निवास कर रहे थे। यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध होते हुये भी निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा व्यवहारी की संपत्तियों के निपटान हेतु रिसीवर की नियुक्ति कर दी गयी है तथा सहायक आयुक्त, बिक्री कर, भोपाल को आगामी कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।

2.9.15.5 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-गा, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2012) कि मैसर्स मोटोरोला इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर पर वर्ष 1992-93 से 1997-98 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 89.79 लाख बकाया थे। व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर बड़ौदा (गुजरात) चला गया। दो जमानतियों को वसूली नोटिस जारी (मार्च 2006) करने पर पता चला कि एक जमानती की अगस्त 2005 में मृत्यु हो चुकी थी एवं दूसरा जमानती गायब था। इस प्रकार, जमानतियों से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकी। तत्पश्चात, कलेक्टर, जयपुर द्वारा वसूली हेतु कलेक्टर, बड़ौदा को आर.आर.सी. भिजवाये गये (मार्च 2006)। यह देखा गया कि इस बारे में आगामी पांच वर्षों तक कोई पत्राचार नहीं किया गया। कलेक्टर द्वारा दिसम्बर 2011 में एक स्मरण पत्र जारी किया गया था। अभिलेखों पर आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि कलेक्टर, जयपुर को आर.आर. अधिनियम में कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

इसी प्रकार, चार वृत्तों (झुंझुनू, राजसमन्द, विशेष-श्रीगंगानगर, तथा बी-उदयपुर) के सात प्रकरणों में ₹ 94.10 लाख के बकाया पाये गये (मार्च 2013 से मई 2013)।

विभाग अपनी मांगों की वसूली के प्रति सतर्क नहीं था। चूक होने के तुरन्त बाद व्यवहारियों के बारे में जानकारी करने के कोई प्रयास नहीं किये गये थे। आर.आर. अधिनियम के माध्यम से वसूली प्रारंभ किये जाने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा कलेक्टर को केवल पत्र/स्मरण पत्र जारी किये गये तथा सम्बन्धित कलेक्टरों द्वारा अनुसरण की ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर ने अवगत कराया कि आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत बकाया प्रकरणों का नियमित अनुसरण किया जा रहा है तथा इन प्रकरणों में वसूली की गति बढ़ाने के लिये पुनः निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.9.16 आई.टी.सी. के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण बकाया

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार, मूल वैट बीजक के आधार पर जमा कर की आई.टी.सी. का दावा, ऐसे बीजक के जारी किये जाने से तीन माह के भीतर अनुमत्य किया जायेगा। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये गये (31 अगस्त 2009) कि आई.टी.सी. का सत्यापन जितना जल्दी संभव हो, या तिमाही विवरणी प्रस्तुत किये जाने से अधिकतम छः माह के भीतर किया जाये। इसके अलावा, राजस्थान वैट नियम के नियम 45ए के अनुसार, यदि जमा राशि के उचित सत्यापन की आवश्यकता के कारण आई.टी.सी. को अनुमत्य नहीं किया गया हो तो निर्धारण अधिकारी स्वयं सत्यापन करावेगा तथा ऐसी समायोजन के अधीन राशि की मांग को वसूल नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा दावा अनुमत्य कर दिया जाये या लिखित आदेश के द्वारा ऐसी आई.टी.सी. को अस्वीकृत कर दिया जावे।

विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार व्यवहारियों के विरुद्ध ₹ 527.21 करोड़ उचित सत्यापन के अभाव में बकाया थे। ऐसे कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है:

आठ वृत्तों⁴ की कर निर्धारण पत्रावलियों तथा मांग एवं संग्रहण पंजिका की मापक जांच में पाया कि 48 प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा दावा किये गये ₹ 13.00 करोड़ के आई.टी.सी. को, निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अनुमत्य नहीं किया। यह पाया गया कि यह आई.टी.सी. 2006 से 2010 की अवधि से सम्बन्धित थी किन्तु निर्धारण अधिकारियों द्वारा अब तक (फरवरी 2014) सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा अब विवरणियों का कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर लिया है तथा आई.टी.सी. के सत्यापन कार्य ऑनलाईन करने में समर्थ है, फिर भी, पुराने आई.टी.सी. के दावों को प्राथमिक आधार पर सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रकरणों में शामिल भारी राजस्व का निपटान हो सके।

अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग ने समापन सभा के दौरान बताया कि आई.टी.सी. दावों के सत्यापन के लिये एक समाशोधन गृह की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया गया कि सभी व्यवहारियों के लिये अप्रैल 2012 से विवरणियां को ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जा चुका है जिससे आई.टी.सी. के ऑनलाईन सत्यापन में सुविधा रहेगी।

⁴ वृत्त- बी-भारतपुर, बी-गिवाड़ी, बी-जयपुर, ई-जयपुर, शंशुनू, बी-कोटा, मिरोही एवं बी-उदयपुर।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि तीन प्रकरणों में ₹ 23.31 लाख की मांग सत्यापित कर समायोजित की जा चुकी है।

2.9.17 जमाओं के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण बकाया

राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 45 के अनुसार, यदि कोई व्यवहारी या व्यक्ति प्रपत्र वैट-37 में चालान या प्रपत्र वैट-38 या प्रपत्र वैट-39 में कोई रसीद प्रस्तुत करते हुये उस रसीद या चालान की राशि का समायोजन का दावा करता है और यदि ऐसा समायोजन, उस जमा राशि का राजस्व संग्रहण पंजिका (आर.सी.आर.) या बैंक पोस्ट के अभिलेखों से एवं स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) के प्रकरण में प्रपत्र वैट-41 (प्रदाता द्वारा स्रोत पर कटौती का प्रमाण पत्र) के सत्यापन किये जाने की आवश्यकता होने के कारण, नहीं दिया गया हो तो निर्धारण अधिकारी स्वयं उसका सत्यापन करवायेगा और उस राशि की सीमा तक वसूली पर जोर नहीं देगा। विभागीय परिपत्र दिनांक 26 अप्रैल 2004 के अनुसार समस्त निर्धारण अधिकारी निर्धारित प्रारूप में 1 अप्रैल 2004 से आर.सी.आर. का संधारण करेंगे तथा आर.सी.आर. से सत्यापन के पश्चात ही जमाओं का समायोजन दिया जाना चाहिये।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि बैंक पोस्टों पर, चालान से जमा दर्शायी राशियाँ या टी.डी.एस. के समायोजन के सत्यापन के अभाव में ₹ 1.34 करोड़ बकाया चल रहे थे, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.9.17.1 बैंक पोस्ट पर जमा कर

तीन वृत्तों⁵ के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (दिसम्बर 2012 से अप्रैल 2013) कि 18 प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा उनकी विवरणियों में ₹ 64.88 लाख के क्रेडिट का दावा करते हुये बताया कि उनके द्वारा यह अग्रिम कर विभागीय बैंक पोस्टों पर अवधि 2003-04 से 2009-10 के लिये (दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2011 के दौरान निर्धारित) जमा कराया था। राजस्थान वैट नियम के नियम 45 के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों द्वारा बैंक पोस्टों के अभिलेखों से इसका सत्यापन कराया जाना आवश्यक था। तथापि, सत्यापन की जरूरत होने के कारण उन्होंने इस क्रेडिट को अनुमत्य नहीं किया एवं इस राशि की मांग कायम कर दी गई। यह पाया गया कि तीन से नौ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सत्यापन रिपोर्ट को प्राप्त नहीं किया गया था।

⁵ वृत्त: बी-भरतपुर, बी-जयपुर एवं मकराना।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि तीन प्रकरणों में ₹ 14.28 लाख की मांग का सत्यापन एवं समायोजन किया जा चुका है तथा निर्धारण अधिकारियों को बैंक पोस्टों पर जमा कर के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2.9.17.2 चालानों से या टी.डी.एस. द्वारा जमा कर

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि वृत्त बी-भिवाड़ी तथा झुंझुनू के 11 प्रकरणों में वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये (फरवरी 2009 से फरवरी 2010 के दौरान निर्धारित) चालानों/टी.डी.एस. से जमा कर ₹ 69.32 लाख का सम्बन्धित वृत्तों के आर.सी.आर. या टी.डी.एस. से सत्यापन की आवश्यकता के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा समायोजन को अनुमत्य नहीं किया गया। इन 11 प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के तुरन्त पहले सत्यापन किया जाना चाहिये था किन्तु सत्यापन में तीन से छः वर्ष के समय का विलम्ब हुआ।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि निर्धारण अधिकारी को स्रोत पर काटे गये कर का सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं। सरकार ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि छः प्रकरणों में ₹ 26.71 लाख का सत्यापन कर समायोजन दिया जा चुका है।

2.9.18 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली नहीं होना

एक व्यवहारी जो बिक्री/माल के स्थानान्तरण पर कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है, तो वह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 के अनुसार, घोषणा पत्र प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'एफ' एवं प्रमाण पत्र ई-I/ई-II में, जैसा भी प्रकरण हो, उन्हें घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों से संबन्धित अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अलावा, प्रपत्र 'एच', प्रथम निर्धारण प्राधिकारी को उसके द्वारा निर्धारण के समय तक, प्रस्तुत किये जायेंगे।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (अप्रैल 2012 से मई 2013) कि 13 वृत्तों⁶ के 178 प्रकरणों में वर्ष 1992-93 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से ₹ 10.51 करोड़ की मांग तथा ब्याज राशि ₹ 2.31 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे।

⁶ वृत्त - बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष तृतीय जयपुर, झुंझुनू, बी-कोय, मकराना, राजसमन्द, सिरौही, विशेष-श्रीगंगानगर एवं बी-उदयपुर।

व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्र या प्रमाण-पत्र जिस अवधि से सम्बन्धित हो, उसकी समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने वांछित थे, फिर भी, इन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया तदनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा रियायती दर के बजाय निर्दिष्ट दर से मांग कायम की गयी। यह भी पाया गया कि प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने के लिये व्यवहारियों द्वारा नहीं कहा गया था।

यह भी पाया गया कि दो वृत्तों के सात ऐसे व्यवहारियों ने जिनके विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्रों के बकाया होने से ₹ 59.13 लाख की मांग बकाया थी, उन्होंने अपना व्यवसाय वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान बन्द कर दिया था। निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन व्यवहारियों से मांग की वसूली हेतु नैमित्तिक मांग पत्रों को जारी करने के सिवाय कोई प्रयास नहीं किये गये।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि 31 प्रकरणों में ₹ 3.74 करोड़ की मांग समायोजित की जा चुकी है।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बताया गया कि निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है तथा जिन प्रकरणों में समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गयी, विभाग ने उनसे वसूली करना प्रारंभ कर दिया है।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उन्हीं प्रकरणों को उठाया गया है जिनमें बिक्री को घोषणा पत्रों से समर्थित किये बिना मानते हुये राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर लागू कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णित किया गया था किन्तु इनमें से किसी भी प्रकरण में वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी।

2.9.19 राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली नहीं होना

एक व्यवहारी जो बिक्री/माल के स्थानान्तरण पर कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है, तो वह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 23 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा विवरणियों के साथ या कर निर्धारण के समय या कर निर्धारण की तिथि से छः माह के भीतर, जैसा निर्धारण अधिकारी अनुमत्य करें, घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुये, निर्दिष्ट 'एसटी-17' या 'एसटी-17बी' एवं अन्य प्रमाण पत्रों को, अतिरिक्त छः माह की अवधि में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

इसके अलावा, राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 21 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा निर्दिष्ट 'वैट-15' एवं अन्य प्रमाण पत्रों को विवरणियों के साथ या वार्षिक विवरणी या ऑडिट रिपोर्ट की देय तिथि से पूर्व, जैसा भी प्रकरण हो, प्रस्तुत किया जाना वांछित है।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजस्थान वैट नियम के नियम 21 में संशोधन कर राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये अवधि को माह जून 2013 तक बढ़ाया गया।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (अप्रैल 2012 से मई 2013) कि नौ वृत्तों⁷ के 64 प्रकरणों में वर्ष 1993-94 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के अन्तर्गत घोषणा-पत्रों/प्रमाण-पत्रों को जून 2013 तक प्रस्तुत नहीं किये जाने से मांग ₹ 2.09 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.13 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। विभाग द्वारा राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के प्रपत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिये निरन्तर समय वृद्धि के कारण चूककर्ता व्यवहारियों को विभाग के बनाये नियमों/अधिनियमों की पालना नहीं किये जाने को प्रोत्साहन मिला है।

यह भी पाया गया कि चयनित तीन वृत्तों के सात ऐसे व्यवहारियों के विरुद्ध राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के घोषणा पत्रों के बकाया होने से ₹ 67.86 लाख की मांगें बकाया थीं, उन्होंने 2000-01 से 2009-10 के मध्य अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था। निर्धारण अधिकारियों द्वारा, फिर भी, इन

⁷ वृत्त: बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ई-जयपुर, झुंझुनु, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, विशेष-श्रीगंगानगर एवं बी-उदयपुर।

व्यवहारियों से मांग की वसूली हेतु नैमित्तिक मांग पत्र जारी करने के सिवाय कोई प्रयास नहीं किये गये।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि छः प्रकरणों में ₹ 31.00 लाख की मांग समायोजित की जा चुकी है।

विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा कर घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने की एक अन्तिम सीमा तय की जानी चाहिये, क्योंकि ये प्रपत्र 1993-94 से ही बकाया चले आ रहे हैं, जोकि राजस्व हित में नहीं है।

2.9.20 शासकीय समापक के समक्ष ब्याज का दावा प्रस्तुत नहीं करना

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार, जब किसी व्यक्ति या व्यवहारी द्वारा किसी कर, फीस, शास्ति, ब्याज या उसके द्वारा देय कोई अन्य राशि के भुगतान में चूक होती है, तो वह ऐसी राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों से ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

शासकीय समापक, कम्पनी अधिनियम की धारा 448 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त और विभिन्न उच्च न्यायालय से जुड़े अधिकारी होते हैं। शासकीय समापक का प्राथमिक कार्य समापन के अन्तर्गत कम्पनियों की सम्पत्तियों का प्रशासन करना, सभी ऋणों की वसूली करना, सम्पत्तियों का विक्रय करके सभी लेनदारों तथा कम्पनियों के अन्य श्रेय धारकों के मध्य उसका वितरण करने के उपरान्त, कम्पनी का अन्तिम रूप से विघटन करना है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त विशेष-1, जयपुर के अभिलेखों के मापक जांच में पाया (फरवरी 2012) कि दो कम्पनियां, मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जयपुर तथा मैसर्स पूजा ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, जयपुर क्रमशः अगस्त 2003 तथा दिसम्बर 2006 में बन्द हुई थी। पत्रावली की जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय समापक को बकाया राशि की वसूली के दावे क्रमशः 27 अक्टूबर 2006 तथा 6 जनवरी 2007 को प्रस्तुत करते समय मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जयपुर के लिये ₹ 4.75 करोड़ तथा मैसर्स पूजा ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, जयपुर के लिये ₹ 1.11 करोड़ ब्याज राशि के शामिल नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 5.86 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जयपुर के प्रकरण में ब्याज को शामिल करते हुए संशोधित दावा भेज दिया गया है तथा मैसर्स पूजा ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, जयपुर के प्रकरण में ब्याज दावा की प्रस्तुति प्रक्रियाधीन है।

2.9.21 ऋण वसूली अधिकरण के साथ अपर्याप्त अनुसरण के कारण बकाया कर की वसूली नहीं होना

ऋण वसूली अधिकरण का गठन, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को देय देनदारियों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अन्तर्गत किया गया। व्यवहारी की सम्पत्ति यदि ऋण वसूली अधिकरण के कब्जे में हो, तो विभाग को अपना दावा ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-III, वृत्त-ई, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अगस्त 2013) कि एक कम्पनी मैसर्स प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लि., जयपुर के विरुद्ध वर्ष 1994-95 से 2000-01 की अवधि के लिये ₹ 1.99 करोड़ की मांग बकाया थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में मार्च 2000 से अप्रैल 2003 की अवधि को 'स्थगन के अन्तर्गत' में वर्गीकृत किया गया। यद्यपि, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की रिपोर्ट (जून 2012) के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण द्वारा 2005 में कम्पनी की चल एवं अचल सम्पत्ति को बेच दिया गया तथा प्राप्त विक्रय राशि को वित्तीय संस्थानों के बीच वितरित किया जा चुका था।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। व्यवहारी की कोई भी सम्पत्ति अब उपलब्ध नहीं रहने के कारण कम्पनी से वसूली की संभावनायें क्षीण हो गई हैं।

2.9.22 राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कराधान अधिकरण में लम्बित प्रकरणों में स्थगन नहीं हटाये जाने के कारण बकाया की वसूली नहीं किया जाना

राजस्थान उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित सभी प्रकरणों पर निगरानी रखने के लिये आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय में एक विधि अनुभाग बनाया गया। दो वृत्तों की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा पर ज्ञात हुआ कि दो प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूलियों पर से प्रतिबन्ध उठाने के लिये शीघ्रता से पर्याप्त उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामतः बकाया ₹ 3.39 करोड़ एवं ब्याज की राशि अवरूद्ध रही, जिनकी नीचे चर्चा की गई है:

2.9.22.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अजमेर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (दिसम्बर 2011) कि मैसर्स कोयना रोकला पाईप्स लिमिटेड, केकड़ी का प्रकरण राजस्थान कराधान अधिकरण (अधिकरण) के पाम लम्बित था। यह पाया गया कि वर्ष 1989-90 से 1997-98 से संबन्धित ₹ 3.22 करोड़ की मांग 1993-94 से 2000-01 के दौरान कायम की गई थी, किन्तु, वसूली की कठोर कार्यवाही के प्रयास पर अधिकरण के प्रतिबन्ध होने से वसूली नहीं की जा सकी। अधिकरण के आदेश को 15 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी, विभाग द्वारा अभी तक स्थगन हटवाने एवं वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

इसके अलावा, प्रकरण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट राजकीय अधिवक्ता को 12 वर्ष बाद जनवरी 2010 में उपलब्ध करायी गई।

वर्ष 1999 में अधिकरण को बन्द किया गया था तथा प्रकरण को राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया गया था। हालांकि इसमें स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा वर्तमान में स्थगन में चल रहा है (फरवरी 2014)।

इस प्रकार, विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही के अभाव में फलस्वरूप ₹ 3.22 करोड़ की मांग एवं ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी।

सरकार ने स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि प्रकरण पर अभी तक स्थगन है तथा सूचित किया कि सुनवाई की आगामी तिथि अभी प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

2.9.22.2 सहायक आयुक्त, वृत राजसमन्द के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स सरस्वती मार्बल एण्ड ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में वर्ष 1996-97 के लिये ₹ 17.02 लाख की मांग फरवरी 2004 में कायम की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश पारित (जून 2004) कर कहा कि विभाग द्वारा वसूली के लिये कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जायेगी। वसूली पत्रावली के अनुसार, प्रकरण में अन्तिम सुनवाई 2 मार्च 2005 को नियत की गई थी एवं इसके पश्चात, कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसरण की कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप मांग ₹ 17.02 लाख तथा ब्याज की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि स्थगन हटवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.23 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों, कार्यकारी निर्देशों के उचित रूप से लागू करने के प्रति समुचित आश्वासन देना है। इस तरह का नियंत्रण पर्यवेक्षीय अधिकारियों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं समय-समय पर प्रभावी निरीक्षण के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

बकाया प्रकरणों की समय-समय पर समीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी में कमी के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय वसूलियों के लिये अन्य राज्यों के अधिकारियों, बी.आई.एफ.आर., शासकीय समापक तथा निर्धारण अधिकारी एवं भू-राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी आदि, कमियां पायी गईं जिन कारणों से बकाया की वसूली नहीं की जा सकी। जैसा कि इन्हें पूर्व के कुछ पैराग्राफों में ध्यान में लाया गया है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गईं अन्य कमियों की चर्चा आगे की गई है:

2.9.23.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के पैरा 19 (अध्याय-3) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ एक करोड़ से अधिक की बकाया मांग के सभी प्रकरणों की लेखापरीक्षा की जानी आवश्यक है, ताकि बकाया की वसूली हेतु किये गये प्रयासों में कमियों का पता लगाने तथा चूकवाले प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके।

चयनित वृत्तों के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया (अप्रैल 2012 से मई 2013) कि इन चयनित वृत्तों में राजस्व के बकाया की वसूली के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप, विभाग द्वारा प्रणाली में कमियों की पहचान नहीं की जा सकी तथा उनकी रोक के लिये वांछित उपाय नहीं किये जा सके।

विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को बकाया की वसूली तथा इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी तय करने के लिये पृथक से निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2.9.23.2 व्यवहारियों की अतिरिक्त जमानत राशि संशोधित नहीं करना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि व्यवहारी द्वारा कर की राशि या अन्य देय राशि को यथासमय जमा कराने के लिये, निर्धारण अधिकारी उससे आरम्भिक जमानत या ऐसी अतिरिक्त जमानत जो आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने को कहेगा। इसके अलावा, पूर्व में पंजीकृत व्यवहारियों की जमानत राशि निर्धारण अधिकारी द्वारा कारणों को अभिलिखित कर बढ़ायी जा सकेगी और ऐसी जमानत तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की कर देयता के 25 प्रतिशत तक होगी तथा वे व्यवहारी जो कि चालू वर्ष में ही पंजीकृत हुए हों, के प्रकरण में तत्काल पूर्ववर्ती महीनों या तिमाही, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम कर देयता के 25 प्रतिशत तक हो सकेगी।

यह पाया गया (जुलाई 2013) कि किसी भी चयनित वृत्तों में निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में पंजीकृत व्यवहारियों की जमानत राशि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की कर देयता के 25 प्रतिशत तक तथा ऐसे व्यवहारियों, जो चालू वर्ष में ही पंजीकृत हुए हों, उनके प्रकरण में तत्काल पूर्ववर्ती महीनों या तिमाही, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम कर देयता के 25 प्रतिशत तक जमानत राशि जमा कराने की मांग नहीं की गई। उचित जमानत राशि के अभाव में व्यवहारियों के चूक करने पर निर्धारण अधिकारी बकाया की वसूली करने की स्थिति में नहीं होते हैं।

यह भी देखा गया कि आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा निर्देश जारी (जुलाई 2007) कर यथासमय कर का भुगतान नहीं करने वाले चूककर्ता व्यवहारियों की जमानत राशि बढ़ाने को कहा गया था लेकिन निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी पालना नहीं

की गई तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसके क्रियान्वयन पर कोई निगरानी नहीं रखी गई।

विभाग ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि जमानत राशि को आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया।

2.9.24 अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश, व्यवहारी को जारी सूचना पत्रों एवं अन्य पत्राचारों की प्रतियों को प्रत्येक व्यवहारी के लिये प्रत्येक वर्ष की कर निर्धारण पत्रावली में रखा जाता है। जिन प्रकरणों में राजस्व की बकाया हो, उनमें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया इन पत्रावलियों के आधार पर ही प्रारंभ की जाती है।

12 वृत्तों⁸ के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान वर्ष 1969 से 2010 में 566 प्रकरणों से सम्बन्धित वसूली अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

वसूली अभिलेखों की अनुपलब्धता से बकाया की वसूली के प्रकरणों के अनुसरण पर तथा ₹ 25.96 करोड़ की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सहमति जताई कि विभाग में अभिलेखों का रख-रखाव कमजोर है तथा बताया कि अब अभिलेखों को उचित रूप से रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.25 निष्कर्ष

‘वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कई कमियों का पता चला, जिससे बकाया की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। विभाग में वसूली की प्रगति पर निगरानी के लिये नियंत्रण पंजिका निर्धारित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करते समय हैसियत प्रमाण-पत्र एवं जमानतियों की जाँच नहीं की गयी थी। सम्पत्ति के कुर्की करने तथा उसकी नीलामी में हुए असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप जिन व्यवहारियों के विरुद्ध भारी मांग बकाया थी, वे व्यवसाय बन्द करके गायब हो जाते थे। विभाग के अधिकारियों द्वारा पुरानी बकाया की वसूली के अनुसरण में शिथिलता बरतने के फलस्वरूप पुरानी मांग वर्षों तक बकाया रही, यद्यपि ऐसे व्यवहारियों द्वारा चालू मांग का नियमित भुगतान किया जा रहा था। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रभावकारी नहीं थी एवं

⁸ वृत्त: बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष द्वितीय-जोधपु, बी-कांटा, मकराना, राजसमन्द, सिरौही, बी-उदयपुर तथा प्रतिकरापवंचन-11 राजस्थान, जयपुर।

आई.टी.सी., चैक पोस्टों पर जमा कर या चालान से जमा कर का सत्यापन नहीं किये जाने से एवं घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण बकाया राशि संचित होती जा रही थी। विभाग द्वारा उच्च न्यायालय/शासकीय समापक/ऋण वसूली अधिकरण तथा अन्य प्राधिकारियों के मामलों का उचित अनुसरण नहीं करने के परिणामस्वरूप काफी राजस्व मुकदमेबाजी में अवरूद्ध था। जमानत राशि में संशोधन नहीं करना तथा आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति में कमियां भी बकाया की वसूली के सम्बन्ध में विभाग की कुशलता को प्रभावित कर रही थी।

2.9.26 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिये कि:

- निर्धारण प्राधिकारियों हेतु बकाया की वसूली के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जावें;
- राजस्व की बकाया वसूली पर उचित अनुसरण एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा प्रत्येक माह की स्थिति पर निगरानी रखने के लिये नियंत्रण पंजिका निर्धारित की जावें;
- चूककर्ता व्यवहारियों की सम्पत्ति की नीलामी नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाया जावें;
- व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर मांग पत्र जारी किये जाने तथा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय की स्थिति की प्रस्तुत रिपोर्ट आदि पर गहन निगरानी रखने को सुनिश्चित किया जावें;
- विभाग द्वारा एक ऐसी व्यवहारिक तथा समयबद्ध निगरानी प्रणाली को विकसित की जावें जिसमें जिले के कलेक्टर द्वारा समय पर आर.आर.सी. जारी किया जाना तथा अन्य राज्यों के कलेक्टरों से नियमित समन्वय रखा जाना शामिल हो;
- व्यवहारियों से उनकी बकाया की शीघ्र वसूली के हित में घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये जाने हेतु बार-बार समय में बढ़ोतरी प्रदान करने की परिपाटी की समीक्षा की जावें; तथा
- भारी राजस्व ₹ 4,838.04 करोड़ के प्रकरणों की जांच किये जाने के सन्दर्भ में आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा बकाया के मामलों के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जावें।

2.10 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वाणिज्यिक कर विभाग में वैट के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं करने, कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत संगणना के अनेक प्रकरण ज्ञात हुये। इनमें से कुछ कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी दर्शायी गई थी, लेकिन न केवल अनियमिततायें विद्यमान हैं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

2.11 अधिनियमों/नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान वैट अधिनियम, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, नियमों एवं अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

- (क) करयोग्य टर्नओवर पर निर्धारित दरों से कर का आरोपण,
- (ख) प्रवेश कर का आरोपण;
- (ग) रिवर्स कर का आरोपण;
- (घ) शास्ति एवं ब्याज का आरोपण; तथा
- (ङ) सब्सिडी प्रदान करना।

अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण/कम वसूली से सम्बन्धित अनुच्छेद 2.12 से 2.17 तक वर्णित मामलों में सम्बन्धित प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया।

2.12 'डी-ऑयलड राइस ब्रान' पर कर का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, एक व्यवहारी द्वारा देय कर, माल के करयोग्य टर्नओवर पर, अनुसूची III से VI में प्रत्येक वस्तु के सामने दर्शित दर के अनुसार होगा। अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि क्रमांक 64 के अनुसार 'डी-ऑयलड राइस ब्रान' चार प्रतिशत की दर से करयोग्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई 2009 के द्वारा 'डी-ऑयलड राइस ब्रान' की बिक्री को दिनांक 8 जुलाई 2009 से कर मुक्त किया गया। राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कर के भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज आरोपणीय है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (सितम्बर 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, जयपुर) ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान ₹ 2.08 करोड़ के 'डी-आयलड राइस ब्रान' का विक्रय, कर मुक्त माल के रूप में किया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 2009 और जुलाई 2010) उक्त

माल की बिक्री को कर मुक्त मानते हुये करारोपण नहीं किया गया। इस प्रकार 'डी-आयलड राइस ब्रान' के विक्रय को कर मुक्त वस्तु के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कर ₹ 8.31 लाख एवं ब्याज ₹ 3.93 लाख का अनारोपण हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	माल का मूल्य	चार प्रतिशत की दर से आरोपणीय कर	आरोपणीय ब्याज (मार्च 2012 तक)
2007-08	90.94	3.64	1.97
2008-09	116.89	4.67	1.96
योग	207.83	8.31	3.93

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि ब्याज सहित ₹ 11.47 लाख की मांग कायम कर दी गई। यद्यपि, व्यवहारी के अभ्यावेदन पर उपायुक्त (अपील) जयपुर द्वारा ₹ 9 लाख पर स्थगन दिया गया एवं वर्ष 2007-08 और 2008-09 के ₹ 2.47 लाख की वसूली के आदेश दिये। व्यवहारी ने ₹ 2.47 लाख जमा करा दिये। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.13 रिवर्स कर का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 जारी कर व्यवहारी को राज्य में क्रय किये गये माल पर चार प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये आई.टी.सी का लाभ दिया गया, यदि उक्त माल विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया गया हो तथा ऐसे निर्मित माल का राज्य के बाहर शाखा स्थानान्तरण किया गया हो। किसी मामले में आई.टी.सी. गलत लेने पर रिवर्स कर का आरोपण किया जायेगा।

2.13.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भरतपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (सितम्बर 2011) में पाया कि दो व्यवहारियों ने राज्य के बाहर शाखा स्थानान्तरण द्वारा माल भेजा और राज्य के भीतर क्रय किये गये कच्चे माल पर आई.टी.सी. का दावा किया। व्यवहारियों के वर्ष 2008-09 के निर्धारणों को अन्तिम रूप (सितम्बर और दिसम्बर

2010) देते समय निर्धारण अधिकारी ने राज्य के भीतर से क्रय किये गये माल पर चार प्रतिशत तक आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 7.92 लाख एवं ब्याज ₹ 3.32 लाख का अनारोपण हुआ, जो निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

व्यवहारी का नाम	प्रेषण की गई वस्तु का नाम	कुल बिक्री में प्रेषण किये गये माल का प्रतिशत	चार प्रतिशत की दर से दावा की गई आई.टी.सी. की राशि	आनुपातिक आधार पर रिवर्स नहीं की गई आई.टी.सी. की राशि	ब्याज (मार्च 2012 तक)
मैसर्स गोवर्धन ऑयल मिल्स, भरतपुर	सरसों का तेल	3.54	182.51	6.46	2.71
मैसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	सरसों का तेल	8.54	17.04	1.46	0.61
योग				7.92	3.32

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2011)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि जुलाई 2013 में कर ₹ 7.92 लाख एवं ब्याज ₹ 2.69 लाख की मांग कायम कर दी गई। सरकार ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2013) कि व्यवहारियों को नोटिस जारी करने के बाद भी मांग जमा नहीं करायी; इसलिए बैंक खाते पर रोक लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(1) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी उक्त उप धारा में बताये गये प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये करयोग्य माल पर आई.टी.सी. ले सकेगा। यदि क्रय किये गये माल का आंशिक उपयोग, उप धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये तथा आंशिक उपयोग अन्यथा किया गया हो तो आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर देय होगी। किसी भी कर योग्य माल को राज्य के भीतर क्रय करके कच्चे माल के रूप में कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयोग करने की दशा में आई.टी.सी. का लाभ देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 2(33) के अनुसार आई.टी.सी. का वह भाग जो धारा 18 के प्रावधानों के विरुद्ध है, को रिवर्स करना होगा।

2.13.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भीलवाड़ा के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जुलाई 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स भारतीय स्पिनर्स लि., गंगापुर, भीलवाड़ा) ने करयोग्य एवं कर मुक्त माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने हेतु क्रय किये गये कर योग्य माल पर आई.टी.सी. का दावा किया। व्यवहारी ने आनुपातिक आधार पर वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 4.11 लाख एवं वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 1.17 लाख की आई.टी.सी. रिवर्स नहीं की।

व्यवहारी के वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के निर्धारणों को अन्तिम रूप (जनवरी और दिसम्बर 2011) देते समय निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त माल के निर्माण में उपयोग में लिये गये कच्चे माल से सम्बन्धित आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 5.28 लाख एवं ब्याज ₹ 2.07 लाख (मार्च 2012 तक) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2013)। सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि जुलाई 2013 में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिये कर ₹ 6.21 लाख एवं ब्याज ₹ 3.34 लाख की मांग कायम की गई थी। सरकार ने आगे सूचित (नवम्बर 2013) किया कि वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 3 लाख एवं वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 1.50 लाख की वसूली कर ली गई। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.14 अनियमित राहत/छूट स्वीकृत करना

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'एफ' में घोषणा या प्रपत्र ई-1 में प्रमाण-पत्र, सम्बन्धित अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये। यदि निर्धारण प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि घोषणा या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित समय तक प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है तो प्राधिकारी ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ा सकता है जैसा कि वह प्राधिकारी अनुमत्य करें।

चार वाणिज्यिक कर कार्यालयों⁹ के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि नौ व्यवहारियों के निर्धारणों में विलम्ब के कारण बताये बिना घोषणा पत्रों के प्रस्तुत करने पर ₹ 1.43 करोड़ (कर ₹ 1.14 करोड़ एवं ब्याज ₹ 28.65 लाख) की मांग में कमी की गई, जो कि उक्त नियमों के विरुद्ध थी। आगे, यह भी पाया कि पांच प्रकरणों में निर्धारण अधिकारियों¹⁰ ने राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत और चार प्रकरणों

में बिना किसी धारा के अंकन किये मांग में राशि ₹ 1.08 करोड़ की कमी कर दी गई। उपरोक्त धारा 33 के अनुसार निर्धारण अधिकारी अभिलेखों में दृष्टव्य त्रुटियों को ही ठीक कर सकता है। उक्त प्रकरणों में धारा 33 के अनुसार निर्धारण अधिकारियों को मांग में कमी करने का अधिकार नहीं है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त, सितम्बर 2011 एवं जुलाई 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2011, मार्च 2012 एवं मई 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि निर्धारण अधिकारी अपनी सन्तुष्टि के बाद और समय बढ़ा सकता है। सरकार ने अपने तर्क के समर्थन में हैदराबाद एम्बेस्टोस सीमेन्ट प्रोडक्शनस लि. (1994) एस.टी.सी. 410 (एस.सी.), ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 2364 निर्णय का हवाला भी दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में बताया है कि इन शक्तियों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब व्यवहारी द्वारा प्रथम निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण के समय तक घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के युक्तियुक्त कारणों को बताया गया हो। उक्त व्यवहारियों के मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के युक्तियुक्त कारणों और स्वयं के सन्तुष्ट होने का कोई भी आधार अंकित

⁹ वाणिज्यिक कर अधिकारी: वृत्त-ई जयपुर; वृत्त: वक्रम कॉन्टेक्टम् एण्ड लीजिंग टेकम-1 जयपुर; वृत्त: विशेष उदयपुर एवं वृत्त: सीकर।

¹⁰ वाणिज्यिक कर अधिकारी: वृत्त-विशेष उदयपुर।

नहीं किया। इसलिये, विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

2.15 अनियमित/अधिक सब्सिडी प्रदान करना

निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2003 द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (रिप्स) लागू की। रिप्स के पैरा 7(i)(बी) के अनुसार विस्तार के लिये निवेश करने पर व्यवहारी को अनुदान की अधिकतम सीमा, गत तीन वर्षों में अधिकतम देय कर या जमा कर जो भी अधिक हो (वह आधार वर्ष होगा), से अधिक देय कर या जमा कराये गये बिक्री कर/वैट एवं सी.एस.टी. का 50 प्रतिशत (₹ 200 करोड़ से अधिक निवेश पर 75 प्रतिशत) अनुमत्य है।

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 17(1) के अनुसार देय कर की गणना आउट पुट कर, रिवर्स कर एवं क्रय कर को जोड़कर और इसमें से आई.टी.सी. घटाकर की जाती है।

आगे, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(1) के अनुसार, पंजीकृत व्यवहारियों को, उक्त उप धारा में बताये गये प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल को उप धारा में दर्शित उद्देश्यों में उपयोग करने पर आई.टी.सी. देय होगी और इन उद्देश्यों में भारतीय क्षेत्र के बाहर निर्यात शामिल है।

रिप्स के लिये दिनांक 10 अक्टूबर 2008 को जारी की गई अधिसूचना में भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी इकाईयों के देय कर की राशि की गणना आरोपणीय कर में से आई.टी.सी. की राशि घटाकर की जायेगी। इसके अतिरिक्त, रिप्स के पैरा 10 के अनुसार किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में सब्सिडी राशि की वसूली, इसकी उपलब्धता की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाये।

2.15.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मार्च 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स संगम इण्डिया लि., भीलवाड़ा) के प्रकरण में निर्यात किये गये माल पर आई.टी.सी. के दावे को गणना में शामिल नहीं करने के कारण देय कर ₹ 15.53 करोड़ के स्थान पर ₹ 17.19 करोड़ की गलत रूप से गणना की गयी। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन योजना के तहत कर मुक्ति लाभ ₹ 15.29 लाख को अनियमित रूप से देय कर एवं जमा कर की गणना में सम्मिलित किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर की गलत गणना के आधार पर सब्सिडी को अनुमत्य किया गया और परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 की अवधि में अधिकतम सब्सिडी सीमा की गलत गणना की गयी।

देय कर एवं जमा कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ की सब्सिडी अधिक स्वीकृत की गयी जिस पर ₹ 9.68 लाख के ब्याज (मार्च 2012 तक संगणित) का दायित्व भी बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रैल 2013) एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि अगस्त 2013 में ₹ 1.17 करोड़ एवं ₹ 39.88 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई। वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.15.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मार्च 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स बी.एस.एल. लि., भीलवाड़ा) के प्रकरण में निर्यात किये गये माल की आई.टी.सी. के दावे को गणना में शामिल नहीं करने के कारण देय कर (-) ₹ 44.50 लाख के स्थान पर ₹ 1.27 करोड़ की गलत गणना की गयी। देय कर नकारात्मक होने से व्यवहारी को सब्सिडी अनुमत्य नहीं थी। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान देय कर की गलत गणना के आधार पर व्यवहारी को सब्सिडी अनुमत्य की गयी। देय कर एवं जमा कर की गलत गणना किये जाने के परिणामस्वरूप सब्सिडी ₹ 29.78 लाख अधिक स्वीकार की गयी जिस पर ब्याज ₹ 2.40 लाख (मार्च 2012 तक संगणित) बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रैल 2013) एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि अगस्त 2013 में ₹ 29.78 लाख एवं ₹ 10 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई। वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (रिप्स) के पैरा 7(i)(ब) के अनुसार विस्तार के लिये ₹ 200 करोड़ निवेश करने पर व्यवहारी को अनुदान की अधिकतम सीमा, गत तीन वर्षों में अधिकतम देय कर या जमा कर जो भी अधिक हो (वह आधार वर्ष होगा) से अधिक देय अथवा जमा कराये गये बिक्री कर/वैट एवं सी.एस.टी. का 75 प्रतिशत अनुमत्य है। रिप्स, 2003 के पैरा 9(ब)(vii) के अनुसार सब्सिडी का भुगतान केवल उसी अवधि के लिये किया जायेगा जिस अवधि का राज्य और/या केन्द्रीय बिक्री कर इकाई द्वारा जमा करा दिया गया हो।

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार यदि व्यवहारी अधिनियम या नियम या इसके अधीन जारी अधिसूचना के अन्तर्गत समय विशिष्ट में कर भुगतान में विलम्ब करता है तो वह 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

2.15.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स श्री राजस्थान सिन्टैक्स लि., उदयपुर) को वर्ष 2009-10 देय कर के विरुद्ध रिप्स योजना के अन्तर्गत ₹ 1.24 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई। यद्यपि, व्यवहारी ने कर जमा नहीं कराया था। अतः रिप्स योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के लाभ का हकदार नहीं था। आगे, व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप (जनवरी 2012) देते समय वर्ष 2009-10 के कर दायित्व के विरुद्ध सब्सिडी का समायोजन किया गया जो कि सरकारी खाते में 10 से 23 माह के विलम्ब से जमा कराया गया। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ की सब्सिडी अनियमित स्वीकृत की गई, साथ ही ₹ 20.29 लाख के ब्याज का भी अनारोपण रहा।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2013) एवं सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि अगस्त 2013 में ₹ 19.01 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई। यद्यपि, विभाग ने अनियमित स्वीकृत की गई सब्सिडी के वमूली के कोई प्रयास नहीं किये।

2.16 कर का गलत/अधिक आस्थगन

राज्य सरकार ने 23 मई 1987 को 'उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987' (योजना) अधिसूचित की, जिसमें औद्योगिक इकाईयों को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान, उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर योजना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर भुगतान से मुक्ति दी गई। योजना के परिशिष्ट-सी के पैराग्राफ (3) के अनुसार, बिक्री कर मुक्ति की कुल सीमा ₹ 4.00 करोड़ थी।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार, प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा देय कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति प्रदान की गई। अधिसूचना के पैराग्राफ (1) के अनुसार कर मुक्ति का संचयी लाभ जो पहले ही लिया जा चुका है और जो कर आस्थगन का लाभ दिया जाना है वह पुरानी योजना में स्वीकृत कुल मुक्ति लाभ से अधिक नहीं होगा।

2.16.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जुलाई 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स रिषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लि. जयपुर) जो पूर्व में कर मुक्ति का लाभ ले रहा था, ने अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अन्तर्गत आस्थगन लाभ का विकल्प दिया। व्यवहारी कुल मिलाकर ₹ 4.00 करोड़ के कर मुक्ति/आस्थगन के लिये पात्र था। यद्यपि, व्यवहारी वर्ष 2007-08 के दौरान ही सीमा को पार कर गया और वर्ष 2008-09 तक ₹ 5.81 करोड़ का अधिक कर आस्थगन लाभ ले लिया, जो कि पूर्व में ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में ध्यान में लाया जा चुका था। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के निर्धारण को

अंतिम रूप देते समय (फरवरी 2012) पुनः गलती से ₹ 3.65 करोड़ का कर आस्थगन स्वीकृत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ का और अधिक कर आस्थगन हुआ जिस पर ब्याज ₹ 1.09 करोड़ (मार्च 2012 तक संगणित) बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2013)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि अवधि 2007-08 से 2008-09 के लिये ₹ 8.62 करोड़ की मांग कायम कर दी गई और निदेशकों के बैंक खाते जन्त कर लिये गये हैं। यह भी बताया कि व्यवहारी की फैक्ट्री कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। विभाग ने यह भी सूचित किया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 5.47 करोड़ की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार, उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को देय कर के भुगतान को योजना में वर्णित सीमा तक आस्थगित करने को अनुमति प्रदान की गयी। अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसार, बढ़ी हुई अवधि में कर आस्थगन का प्रतिशत ऐसे विस्तार के तत्काल पूर्व के वर्ष में लागू कर आस्थगन प्रतिशत के बराबर होगा।

2.16.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर के वर्ष 2009-10 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स पीकोक इण्डस्ट्रीज, उदयपुर) जो प्रोत्साहन योजना, 1998 का वर्ष 2001-02 से लाभार्थी था, को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अन्तर्गत कर आस्थगन लाभ स्वीकार

किया गया। व्यवहारी वर्ष 2009-10 के लिये देय कर के 10 प्रतिशत कर आस्थगन का पात्र था। तथापि, व्यवहारी ने वर्ष के दौरान इसे योजना की बढ़ी हुई अवधि मानते हुए 40 प्रतिशत कर आस्थगन का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2012) अनुमत्य कर आस्थगन ₹ 9.51 लाख के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा दावा किये अनुसार 40 प्रतिशत से कर आस्थगन ₹ 38.05 लाख स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.54 लाख का अधिक कर आस्थगन हुआ जिस पर ब्याज ₹ 8.56 लाख (मार्च 2012 तक) आरोपणीय है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2013) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2013)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार कर आस्थगन का लाभ 1 अप्रैल 2006 से अधिकतम 5 वर्ष के लिये देय है और 10 प्रतिशत से कर आस्थगन का लाभ सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी बताया कि व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के पैराग्राफ 6 के अनुसार 40 प्रतिशत से कर आस्थगन लाभ दिया गया है।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। जिसका अर्थ है कि 'पुरानी योजना के अन्तर्गत शेष पात्र अवधि को उस अवधि के बराबर लेकिन अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाया जायेगा'। योजना में पूर्व में स्वीकृत अवधि के समाप्त होने के बाद बढ़ी हुई अवधि प्रारम्भ होगी और पैराग्राफ 6 के प्रावधान केवल बढ़ी हुई अवधि के लिए ही लागू होते हैं। इस प्रकरण में, वर्ष 2009-10 मूल स्कीम की शेष अवधि के भीतर है। इसलिये व्यवहारी अधिसूचना के अनुसार योजना के परिशिष्ट-बी में दर्शित केवल 10 प्रतिशत कर आस्थगन का पात्र होगा।

राज्य सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर आस्थगन योजना 1987' एवं 'उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर आस्थगन योजना 1998' अधिसूचित की। राज्य सरकार ने व्यवहारियों को राज्य में निर्मित माल की राज्य के भीतर/अन्तर्राज्यीय बिक्री के दौरान देय कर भुगतान हेतु आस्थगन अनुमत्य किया। 1 अप्रैल 2006 से राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 प्रभावी हुआ। राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार 'व्यवहारी द्वारा देय कर' से तात्पर्य आरोपणीय आउटपुट कर की राशि में से आई.टी.सी. की राशि कम करना है।

2.16.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मार्च 2013) कि दो व्यवहारी (मैसर्स मोडर्न वूलन मिल्स, भीलवाड़ा एवं मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि., गुलाबपुरा) उद्योगों के लिये बिक्री कर आस्थगन योजना 1987 या उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर आस्थगन योजना, 1998 के अन्तर्गत आस्थगन लाभ ले रहे थे। निर्धारण

अधिकारी द्वारा व्यवहारियों के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2012) व्यवहारियों को कुल आउटपुट कर में से आई.टी.सी. को घटाये बिना ही कुल देय कर पर कर का आस्थगन स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.36 लाख के कर का अधिक आस्थगन हुआ जिस पर ब्याज ₹ 8.51 लाख (मार्च 2012 तक संगणित) बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रैल 2013) और सरकार को सूचित किया (मई 2013)। मैसर्स माडर्न वूलन मिल्स, भीलवाड़ा के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 2013) कि ₹ 11.64 लाख व ब्याज ₹ 5.43 लाख की मांग कायम की जा चुकी है और वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि. गुलाबपुरा के प्रकरण में सूचित किया कि ₹ 16.84 लाख व ब्याज ₹ 7.86 लाख की मांग कायम की जा चुकी है लेकिन व्यवहारी (मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि., गुलाबपुरा) ने अपीलीय अधिकारी से 50 प्रतिशत मांग राशि ₹ 12.35 लाख पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.17 प्रवेश कर का अनारोपण

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2006 के अनुसार, राज्य के बाहर से व्यापार में उपयोग या उपभोग या बिक्री के लिये क्रय किये गये माल पर देय प्रवेश कर की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हैं, जो अधिसूचना में दी गई हैं।

दो वाणिज्यिक कर वृत्तों के प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों तथा वैट निर्धारण अभिलेखों की पारस्परिक जांच में पाया गया (सितम्बर 2012 एवं फरवरी 2013) कि तीन व्यवहारियों ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 9.80 करोड़ मूल्य का माल राज्य के बाहर से क्रय

किया। निर्धारण अधिकारियों ने व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (सितम्बर 2010 से मार्च 2012) प्रवेश कर के आरोपण हेतु उक्त वर्णित क्रय को वैट विवरणियों के साथ संलग्न प्रपत्रों (वैट- 47/वैट ऑडिट रिपोर्ट) में दर्शाये क्रय से मिलान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.85 लाख के प्रवेश कर एवं ₹ 8.41 लाख के ब्याज का अनारोपण निम्नानुसार हुआ:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	व्यवहारी का नाम	अवधि एवं आदेश की दिनांक	आयातित माल का नाम	प्रवेश कर आरोपित नहीं किये गये माल का मूल्य (प्रवेश कर की दर)	आरोपणीय प्रवेश कर	आरोपणीय ब्याज (मार्च 2012 तक)
1	विशेष भरतपुर	मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड केमिकल्स लि., धौलपुर	2008-09/ 31.1.11	पेराफीन वेक्स, बिटुमेन, एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रिकल आइटमस्	93,04,559 (4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत)	3,43,892	1,44,434
2		मैसर्स भारत ऐंजेन्सीज, भरतपुर	2007-08/ 21.9.10 2008-09/ 29.12.10 2009-10/ 31.1.12	मोटर साईकिल्स एवं उनके पार्ट्स	1,66,17,921 (1 प्रतिशत) 1,08,92,082 (1 प्रतिशत) 2,93,64,818 (1 प्रतिशत)	1,66,179 1,08,921 2,93,648	89,736 45,747 88,094
3	ए, अजमेर	मैसर्स रामेश्वर बिल्डमेट प्रा. लि., अजमेर	2008-09/ 15.2.11 2009-10/ 14.2.12	ग्लास एवं ग्लास शीटस्	1,88,99,852 (4 प्रतिशत) 1,29,16,544 (4 प्रतिशत)	7,55,994 5,16,661	3,17,517 1,54,998
योग					9,79,95,776	21,85,295	8,40,526

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012 से मार्च 2013) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2013)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुसरण में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर के निर्धारण अधिकारी ने ₹ 18.98 लाख की मांग ब्याज के साथ कायम कर दी है। यद्यपि, व्यवहारी (मैसर्स रामेश्वर बिल्डमेट प्रा. लि., अजमेर) के अभ्यावेदन पर उपायुक्त (अपील), अजमेर द्वारा व्यवहारी को मांग राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाने की शर्त पर शेष राशि के लिये स्थगन दे दिया (मई 2013)। व्यवहारी ने जुलाई 2013 में ₹ 9.50 लाख जमा करा दिये है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भरतपुर के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि मैसर्स भारत एंजेन्सीज, भरतपुर के प्रकरण में ₹ 8.49 लाख एवं मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड केमिकल्स लि., धौलपुर के प्रकरण में ₹ 2.99 लाख की मांग कायम कर दी है। यद्यपि, लेखापरीक्षा के अनुरोध किये जाने के बावजूद विभाग ने कम मांग कायम किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।